1954 मे स्टैंड स्टिल (जहाँ का तहाँ) निरस्त्रीकरण पर भारत का
दृष्टिकोण पंडित जवाहरलाल नेहरु

(1) निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य हथियारो को आवश्यक रूप से निरस्त कर देना नहीं, अपितु आश्चर्य मे इसका लक्ष्य तो यह है कि जो भी हथियार इस समय उपस्थित है उनके प्रभाव को घटा दिया जाये। —

सामान्य निरस्त्रीकरण सामान्य निःशस्त्रीकरण से मतलब है जिसमे सब सम्बन्धित राष्ट्र भाग ले। इसका उदाहरण हमे (1922) की नौसैनिक शस्त्रीकरण पर परिसीमा की वाशिंगटन सन्धि से मिलता है। जिस पर सारी प्रमुख नैसर्गिक शक्तियो ने हस्ताक्षर किये। और 1932 में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में लगभग राष्ट्र समुदाय समुदाय के सब प्रतिनिधियो ने भाग लिया

स्थानिय निरस्त्रीकरण - से हमारा अभिप्राय है जिसमे सीमित संख्या मे राष्ट्र सम्मिलित हो। 1871 का अमरीका और कनाडा के बीच रश - बागोट समझौता इस प्रकार का एक उदाहरण है।

मात्रात्मक निरस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण में सम्पूर्ण कटौती है या इसका उन्मूलन है

गुणात्मक निरस्त्रीकरण - केवल विशेष प्रकार के शस्त्रो में कटौती या इसका उन्मूलन है, जैसे 1932 के विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रो को अवैध कराने का यत्न किया था।

(2) निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजुदा हथियारो के नियंत्रण के लिए किया जाता है।
और शस्त्र नियंत्रण शब्द भविष्य के हथियारो के नियंत्रण के लिए।

आवश्यकता → (1) अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करता है। (2) आर्थिक विकास का मार्ग विकसित होता है। (3) युद्ध की सम्भावना में कमी आती है। (5) विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव
(4) जन-कल्याण का मार्ग है (7) अवांछित हस्तक्षेप कम करता है STUDY BUDDIES
(6) सर्वनाश से बचाता है

(23) निशस्त्रीकरण की आवश्यकता —

(1) विनिस क्लाड — का अभिमत है कि शस्त्रास्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रधान कारण भी राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होड़ ही थी।

(2) हैड्ली बुल — ने कहा है कि शस्त्रों की होड़ स्वयं तनाव की अभिव्यक्ति है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निरस्त्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है

(3) आइजनहॉवर — के शब्दों में प्रत्येक बन्दूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावतरण किया जाता है, अन्तिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं, और उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठिठुरते हैं किन्तु उन्हें वस्त्र नहीं दिये जाते - एक चोरी का सूचक होता है

(24) निःशस्त्रीकरण के प्रयास —

(1) रूस द्वारा प्रस्ताव — 1946 में सोवियत रूस की ओर से प्रत्येक प्रकार के हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। रूस परमाणु बम पर शीघ्र उत्पादन हेतु प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में था परन्तु अमेरिका बम के उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं चाहता था

(2) निःशस्त्रीकरण आयोग की नियुक्ति — 11 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने निःशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल 1954 में एक उपसमिति नियुक्त की। 31 मई 1954 से 23 जून 1954 तक इस उपसमिति की कुल 19 बैठक हुई। पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

शस्त्र नियंत्रण के कार्य => (1) किसी आकस्मिक घटना के कारण शुरू होने वाले युद्ध के खतरे को कम करना (2) हथियारों की अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय होड़ को कम या धीमा करना (3) विरोधी देशों में विश्वास बढ़ाना (4) अस्त्र शस्त्रों की असमानता कम करना (5) देशों को विवाद हल करने के शान्तिपूर्ण उपाय अपनाने STUDY BUDDIES प्रोत्साहित करना (6) संसाधनों को आर्थिक व सामाजिक विकास के कार्यों के लिए बचा

(3) आइजनहावर योजना — 8 दिसम्बर 1953 को अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने संघ की साधारण सभा के समक्ष नि:शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में "परमाणु शक्ति के लिए" नामक प्रस्ताव रखा।

(1) सम्पूर्ण राष्ट्रों को अपनी सेनाओं की सूची देनी थी।
(2) सूचनाओं की जाँच खुली उड़ान द्वारा होनी थी
(3) समस्त अणु बम संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रदान किये जाने थे।

रूस ने आइजनहावर की कोई योजना स्वीकार नहीं की।

(4) शिखर सम्मेलन — 1955 जुलाई में जेनेवा मे शिखर सम्मेलन निशस्त्रीकरण की समस्या को लेकर प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन मे आइजनहावर ने अपने "खुली आकाश की योजना" में सैनिक योजनाओं के आदान - प्रदान और पारस्परिक वायु - निरीक्षण का प्रस्ताव रखा।

लेकिन सोवियत प्रधानमन्त्री बुल्गानिन ने इसके स्थान पर एक भिन्न योजना प्रस्तुत की। योजना मे नि:शस्त्रीकरण हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेन्सी की स्थापना तथा विदेशों में स्थित सैनिक अड्डे समाप्त करने की व्यवस्था थी आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर भी नियंत्रण लगाया जाना था परन्तु यह प्रस्ताव पश्चिमी गुट को मान्य नहीं हुआ

19 नवम्बर 1957 को रूस के प्रस्ताव पर नि:शस्त्रीकरण आयोग

Scanned with CamScanner

(3) अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस की चौकियाँ निरिक्षण हेतु प्रशान्त महासागर मे स्थापित हो जाएँ।
पश्चिमी गुट को सोवियत रूस का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ 6 सितम्बर 1957 को उपसमिति ने अपनी असफलता की घोषणा कर दी

(6) भारतीय प्रस्ताव - 26 सितम्बर 1957 को भारत की ओर से संघ की महासभा मे एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमे निःशस्त्रीकरण आयोग तथा उसकी उपसमिति के सदस्यो मे वृद्धि के अतिरिक्त यह भी मांग थी कि आणविक शस्त्रास्त्रो का समाप्ति की जाए।

(7) बुलगानिन प्रस्ताव - 3 फरवरी 1958 को रूसी प्रधानमंत्री बुलगानिन राष्ट्रपति आइजनहावर के समक्ष निशस्त्रीकरण की योजना रखी -
(1) आकस्मिक आक्रमणो को रोकने हेतु समझौता हो
(2) अणुबमो तथा उद्जन बमो पर परिक्षण हेतु नियंत्रण रहे
(3) जर्मनी तथा अन्य युरोपियन देशो में विदेशी सेना मे कमी हो
(4) नाटो के सदस्य और वारसा सदस्यो मे समझौता हो।
(5) अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आणविक शस्त्रो का परित्याग कर दे।
परन्तु अमेरिका की ओर से कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ।

(8) रापाकी योजना - 19 नवम्बर 1958 को पोलैण्ड के विदेश मन्त्री रापाकी द्वारा प्रस्तुत इस योजना द्वारा पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणुविहिन क्षेत्र बनाने का सुझाव था, जिससे युरोप मे शान्ति स्थापित हो। इस योजना का रूस ने समर्थन किया परन्तु पश्चिमी गुटो ने उपेक्षा की।
31 मार्च 1958 को रूस ने एक तरफा घोषणा की कि सोवियत रूस स्वयं आणविक शस्त्रास्त्रो के परिक्षण समाप्त कर रहा है कि अन्य देश भी ऐसा करे।

Scanned with CamScanner

लेकिन सितम्बर 1958 में रूस ने पुनः परीक्षण प्रारम्भ कर दिए।

(9) जेनेवा सम्मेलन - 1958 अक्टूबर 31 में जेनेवा में पुनः निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारम्भ हुआ यद्यपि जेनेवा में कुछ छोटे-छोटे समझौते हुए। आणविक परीक्षण के लिए नियुक्त आयोग की सदस्य संख्या 7 निश्चित हुई। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आयोग के स्थाई सदस्य रहते थे तथा अन्य 4 का चुनाव 2 वर्ष हेतु होता था।

(10) पूर्ण तथा सामान्य निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव - 1959 में रूसी प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने संघ की साधारण सभा में पूर्ण व सामान्य निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा तथा 12 लाख सैनिकों की कटौती कर दी। परन्तु पश्चिमी देशों ने इसकी उपेक्षा की।

इसी वर्ष 1959 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, अल्बानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निःशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने

Scanned with CamScanner

दूसरा आणविक परीक्षण को निषेध करने सम्बन्धी था।
दिसम्बर 1960 में सोवियत संघ ने यह दस राष्ट्रो के आयोग का यह कहकर बहिष्कार कर दिया की सभी देशो को आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिये। इसके पश्चात 17 सदस्यो का आयोग बना
फ्रांस ने इसमे भाग लेना अस्वीकार कर दिया।
अक्टूबर मे रूस ने घोषणा कि की वह इसी माह 50 मेगाटन बम का परीक्षण करेगा।

(12) केनेडी प्रस्ताव — 25 दिसम्बर 1961 को संघ की महासभा में राष्ट्रपति केनेडी ने यह प्रस्ताव रखा की सभी राष्ट्र परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने की सन्धि पर हस्ताक्षर करे, अन्तरिक्ष मे परमाणु प्रयोग की रोकथाम हो तथा परमाणु वाहनो के उत्पादन पर भी नियंत्रण हो, यह प्रयास भी असफल रहा।

(13) आणविक परिक्षण प्रतिबन्ध सन्धि — जुलाई 1963 (N.T.B.T.) —
EMP
14 जुलाई 1963 को मास्को मे आणविक परीक्षण के सम्बन्ध में रूस अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियो में वार्ता हुई।
25 जुलाई 1963 को तीनो देशो के प्रतिनिधियो के मध्य मास्को में सीमित परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। 10 अक्टूबर 1963 से यह सन्धि मान्य कर दी गई।
इस सन्धि पर अब तक 108 देशो ने हस्ताक्षर किए है।
(1) तीनो राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण मे विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमण्डल मे इसकी सीमाओ मे, बाह्य अन्तरिक्ष मे, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रो के जल मे कोई भी विस्फोट नही करेगें।
(2) सन्धि मे संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रो मे से एक तिहाई राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष मे हो तो संशोधनो पर विचार हो सकता है।

Scanned with CamScanner

(3) इस सन्धि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है।
(4) यह सन्धि असीमित काल के लिए है। सन्धि से सदस्यता का परित्याग करने वाले राष्ट्र को तीन माह पूर्व नोटिस देना होगा
(5) इस सन्धि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के पाठ समान रूप से प्रमाणित समझे जाएंगे।

(14) 1963 के पश्चात निःशस्त्रीकरण प्रगति —

जॉनसन ने जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन को अपने विशेष सन्देश में निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे—
(1) प्रादेशिक विवादों के समाधान हेतु बल-प्रयोग समाप्त हो।
(2) युद्ध के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की वृद्धि पर रोक लगे
(3) शस्त्रास्त्र हेतु विखण्डनीय पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण लगाया जाए
(4) आकस्मिक घटना इत्यादि के कारण उत्पन्न युद्ध की स्थिति को दूर किया जाए
(5) आणविक शस्त्रों से रहित देशों को इनके उत्पादन हेतु प्रोत्साहन पर रोक लगे।

परन्तु अमेरिकन प्रस्तावों के उत्तर में रूस ने अपनी 9 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। जिनमें सभी विदेशी सेनाओं का हटाया जाना, सेनाओं में कटौती होना, नाटो वारसा देशों में सन्धि आक्रमक विमानों को नष्ट करना इत्यादि बातें सम्मिलित थी।
इस प्रकार जेनेवा सम्मेलन असफल रहा।

(15) काहिरा का सम्मेलन - 5 नवम्बर 1964 को काहिरा में तटस्थ राज्यों का एक सम्मेलन हुआ। इसके अनुसार चीन में एक आयोग भेजकर इससे अणु परीक्षण बन्द करने की अपील की जानी थी परन्तु कुछ समय पश्चात ही चीन ने किसी का कहना न मान अणु परीक्षण किया।

(16) रूसी प्रस्ताव — 7 सितम्बर 1964 को संघ की महासभा में

रूसी विदेश मन्त्री ग्रामिको ने अपना ,, सूत्रीय प्रस्ताव रखा। अमेरिकन गुट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

(17) जेनेवा सम्मेलन – 27 जुलाई 1965 को जेनेवा मे नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। परन्तु रूसी-अमेरिकन मतभेदो के कारण यह सम्मेलन असफल रहा।

(18) तटस्थ राष्ट्रो का प्रस्ताव – 16 नवम्बर 1965 को 61 तटस्थ राष्ट्रो ने संघ की राजनीतिक समिति मे काहिरा सम्मेलन को लागू किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव मे यह कहा गया की साम्यवादी चीन सहित 18 राष्ट्रो का सम्मेलन इस समस्या पर विचार करने हेतु 1966 से पूर्व काहिरा मे आमन्त्रित हो।

चीन ने सम्मेलन मे भाग लि नहीं लिया, ऐसी परिस्थिति में 17 राष्ट्रो का नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन जनवरी 1966 से प्रारम्भ हुआ और अगस्त 1966 तक चला परन्तु अमेरिका व रूस के मध्य तीव्र मतभेद के कारण यह सम्मेलन भी असफल रहा।

(19) 1968 की परमाणु सन्धि – 1966 नवम्बर मे संघ की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रो के प्रसार तथा निर्माण सम्बन्धी नियंत्रण के लिए एक समझौते का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 112 सदस्यो मे से 110 ने मत दिये। महासमिति द्वारा पास इस समझौते को जेनवा नि:शस्त्रीकरण आयोग के समक्ष इसका प्रारूप तैयार करने हेतु इसे प्रस्तुत किया गया।

स्वीकृत समझौते मे बड़ा दोष यह था कि – छोटे राष्ट्रो पर परमाणु के निर्माण पर पाबन्दी लगाई गई थी, जबकि इस बात का कोई निर्णय नहीं किया गया था कि जिन देशो ने परमाणु अस्त्रो पर

Scanned with CamScanner

पाबन्दी लगाई है
अस्त्रो का निर्माण किया है, उनका क्या होगा? सन्धि में यह भी स्पष्ट नहीं था कि जिन देशों ने परमाणु अस्त्रो का निर्माण कर लिया है,

अस्त्रो का निर्माण कर लिया है, उनका क्या होगा? सन्धि मे यह भी स्पष्ट नहीं था कि परमाणु विहीन राष्ट्र पर यदि कोई सबल राष्ट्र आक्रमण करता है तो उसके बचाव के क्या उपाय किए जाएंगे। इस प्रस्तावित सन्धि पर सबसे अधिक आपत्ति – फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी तथा भारत को थी।
यह प्रस्ताव 11 जून 1968 को साधारण सभा की राजनीतिक समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। 13 जून 1968 को प्रस्ताव महासभा में प्रस्तुत हुआ।
पक्ष में 95 तथा विपक्ष में केवल 4 मत आये। 21 सदस्य तटस्थ रहे

Date ___/___/___
Page ______
STUDY BUDDIES

1 अक्तूबर 1972 को अमेरिका तथा रूस में परमाणु शक्ति और वृद्धि न करने का समझौता हुआ।
नवम्बर 1971 को व्लाडीवास्टिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
23-24 नवम्बर 1974 को राष्ट्रपति फोर्ड व सोवियत नेता ब्रेझनेव की मुलाकात तथा असमें सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौता व उसकी रूपरेखा तैयार करना, शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम था।
27 मई 1978 को अमेरिका व रूस के मध्य समस्त प्रकार के परमाणु परीक्षणो पर पाबन्दी के बारे मे वार्ता हुई।
अप्रैल 1978 को फ्रांस द्वारा न्यूट्रान बम का विस्फोट किया गया। फरवरी 1980 मे ब्रेझनेव ने सुझाव दिया कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता को पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये, तथा साथ ही नयी पनडुब्बियो के प्रयोग पर भी सीमा लगाई जानी चाहिये।
25 मार्च 1981 को सोवियत संघ, अमेरिका तथा नौ देशो के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति रीगन तथा सोवियत नेता लियोनाद ब्रेझनेव से अपील की कि परमाणु युद्ध से बचने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो देशो के मध्य गहन सहयोग रहे।
15 अप्रैल 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यालय के विशेष समारोह में 35 देशो ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसमे ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि करने को प्रस्ताव था कि पारस्परिक शस्त्रास्त्रो पर रोक लगाने की बात कही गई थी जो अत्यधिक अमानवीय थी।

सोवियत प्रस्ताव - 25 अगस्त 1981 को सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे एक पत्र मे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि करने को प्रस्ताव था जिसके अन्तर्गत पृथ्वी की कक्षा मे किसी भी प्रकार का हथियार भेजने पर रोक हो।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रो द्वारा अपील — 29 सितम्बर 1981 को गुट-निरपेक्ष देशो ने महाशक्तियो से अपील की, कि वे हथियारो की स्पर्धा समाप्त करें। तथा विश्व युद्ध का खतरा समाप्त करने के लिए वार्तालाप करें।

27 मई 1983 को अमेरिका ने नेवादा परीक्षण क्षेत्र मे परमाणु अस्त्रो का विस्फोट किया

17 जून 1983 को सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् मे परमाणु हथियारो पर गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रोक पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि उनके अनुसार इससे हथियारो के असन्तुलन की वर्तमान स्थिति पर रोक लग जायगी।

22 जून 1983 को सोवियत संघ ने चार बड़ी शक्तियां से परमाणु हथियारो में कमी का संकल्प लेने का आह्वान किया चीन ने भी यह घोषणा की कि यदि सोवियत संघ तथा अमेरिका अपने परमाणु हथियारो में आधी कटौती कर दे, तब वह भी उनका अनुकरण करेगा।

18 जनवरी 1984 में स्टाकहोम में 35 राज्यो के यूरोपीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका विदेश मन्त्री जार्ज शुल्ज और सोवियत राष्ट्रपति चरनेनो विदेश मन्त्री आन्द्रेई ग्रोमिको मे वार्तालाप हुई।

19 अप्रैल 1984 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत राष्ट्रपति चरनेनो से अस्त्र वार्ता प्रारम्भ करने पर सहमति प्रकट की। 30 जून 1984 को सोवियत संघ द्वारा अस्त्रो मे कटौती पर अमेरिका से वार्ता पर असहमति प्रकट की गई।

मई 1984 मे भारत, स्वीडन, मैक्सिको तंजानिया, यूनान तथा अर्जेन्टाइना ने महाशक्तियो के मध्य बढ़ रही परमाणु शस्त्र स्पर्धा पर रोक लगाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मे प्रस्तुत किया 23 मई 1984 को महासचिव श्री पेरेज-द कुइयार ने इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन दिया।

1984 के दशक में महाशक्तियों की कुल संहारक क्षमता —
(1) संयुक्त राज्य अमेरिका - 30,000 परमाणु अस्त्र
(2) सोवियत संघ - 22,000 परमाणु अस्त्र
(3) ब्रिटेन - 1000 परमाणु अस्त्र
(4) चीन व फ्रांस - कुछ सौ परमाणु अस्त्र

(21) रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता - 19-20 नवम्बर 1985 को दोनो देशों के नेताओ में बात जेनेवा में वार्ता हुई, दोनो ने निःशस्त्रीकरण सम्बन्धि वार्ताओ को आगे बढाने पर सहमति प्रकट की

(22) निःशस्त्रीकरण पर विश्व सम्मेलन - 1987 में न्युयार्क मे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 153 देशो ने निःशस्त्रीकरण पर हुए विश्व सम्मेलन में भाग लिया लेकिन अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर इसकी सार्थकता को समाप्त कर दिया

(23) मध्यम दूरी प्रेक्षपास्त्र सन्धि - 1987 - 8 दिसम्बर (I.N.F.) को दोनो महाशक्तियो ने ऐतिहासिक मध्यम दूरी प्रेक्षपास्त्र सन्धि पर हस्ताक्षर किये, इस सन्धि में दोनो देश मध्यम व कम दूरी के प्रेक्षपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गये। Imp
सन्धि के अनुसार एस.एस 4, एस.एस. 12, एस.एस. 20 एस.एस 23 सोवियत संघ के प्रेक्षपास्त्रो
तथा अमेरिका के पार्शिंग 1-A, और पार्शिंग - 2 प्रेक्षपास्त्रो को नष्ट किया जायेगा।
इन हथियारो की मारक क्षमता 50 कि.मी. से 5 हजार कि.मी. है।

(24) वारसा व नाटो में सन्धि - 1990 - 19 नवम्बर को पेरिस मे वारसा व नाटो के 34 शासनाध्यक्षो ने सन्धि पर हस्ताक्षर किये

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page
STUDY BUDDIES

इसमे दोनो गुटो के तिर सैनिको की संख्या निर्धारित नही की गई है, लेकिन परम्परागत शस्त्रो की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है तथा सन्धि में जाँच पड़ताल की भी व्यवस्था की गयी है ताकि कोई भी पक्ष उसका उल्लंघन न कर सके।

(25) स्टार्ट - 1: सामरिक हथियारो की कटौती सन्धि - 31 जुलाई, 1991 को मास्को में अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने 'सामरिक हथियारो की कटौती" सन्धि पर हस्ताक्षर किये।
इसके अनुसार दोनो महाशक्तियों अपने परमाणु शस्त्रो मे स्वेच्छा से 30% की कटौती करने को सहमत हो गये।

(26) अमरीका द्वारा एकपक्षीय सामरिक हथियारो की कटौती की घोषणा - 28 सितम्बर, 1991 को जॉर्ज बुश की घोषणा की कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारो में एकतरफा भारी कटौती करेगा। इसमें

< जय श्री राम >

(1) जंगी जहाजो और बहुउद्देश्यीय पनडुब्बीयो से भी सामरिक हथियारो को हटा लिया जायेगा,
(2) भारी बमवर्षको को तैयारी की स्थिति से हटा लिया जायेगा।
(3) सोवियत संघ के छोटे आकार के सचल अन्तर्महाद्वीपीय बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र को समाप्त कर दिया जायेगा।
(4) सामरिक महत्व के आक्रामक हथियारों की कटौती की जायेगी।

(5) स्टार्ट-2 सन्धि (जनवरी 1993 परमाणु हथियारो की कटौती) 3 जनवरी 1993 को मास्को मे प्रतीक्षित परमाणु परिसीमन सन्धि (स्टार्ट-2) पर अन्ततः अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने हस्ताक्षर किए। सन् 2003 तक दो-तिहाई अमरीकी और रूसी परमाणु प्रक्षेपास्त्रो को समाप्त कर देगे तथा दोनो देश जमीन पर तैनात बहुमुखास्त्री प्रक्षेपास्त्रो को तो बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। प्रत्येक के पास तीन हजार से साढे तीन हजार परमाणु प्रक्षेपास्त्र रह जायेगे। इस सन्धि के तहत अमेरिका अपना वर्चस्व बनाये रखेगा, वह पनडुब्बियो से छोड़े जा सकने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रो को नष्ट नहीं करेगा।
रूस अपने एस. एस. 18 प्रक्षेपास्त्रो को समाप्त करने के लिए तभी राजी हुआ जब अमरीका अपना स्टार वार कार्यक्रम छोड़ने को तैयार हुआ।
अमरीका ने 13 मई 1993 को स्टार वार प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा की।

(6) रसायनिक हथियारो से सम्बन्धित समझौता - (14-1-1993) विश्व को रासायनिक हथियारो से मुक्त करने के लिए विश्व के लगभग एक सौ बीस देशो के प्रतिनिधि पेरिस मे एकत्रित हुये। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, परन्तु इजराइल, इराक, व अरब के अन्य देशो ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

(३०) व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी. टी. बी. टी. C.T.B.T

अर्थात व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लायी गई सन्धि या समझौता है। जिसका 1993 में भारत, अन्य देशों के अलावा अमेरिका के सह-प्रस्तावक है। था, लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुये कि यह सन्धि सार्वभौमिक परमाणु निःशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह-प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया।

अगस्त 1996 में जेनेवा में इस विवादास्पद सन्धि के मसौदे पर विचार चलता रहा।

इस बहुचर्चित सन्धि में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध तथा इस पर अमल की जांच के लिए अन्तराष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था है।

भारत ने सी. टी. बी. टी. के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर

Date __/__/__
Page _____
STUDY BUDDIES

सी. टी. बी. टी. के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन - 6-8 नवम्बर, 1999 को विएना में किया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सम्मेलन का आयोजन सन्धि के उस प्रावधान के तहत किया गया था जिसमें कहा गया है कि सन्धि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि (24 सितम्बर 1996) से तीन वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमताओं वाले सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इस सन्धि का अनुमोदन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा।

(3) परमाणु अप्रसार सन्धि समीक्षा सम्मेलन - (NPT) मई-अप्रैल 2000 में सम्पन्न परमाणु - अप्रसार सन्धि समीक्षा सम्मेलन में पांच परमाणु सम्पन्न शक्तियों अपने परमाणु अस्त्र भण्डारों को पूरी तरह समाप्त करने पर राजी हो गई, हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है

2 मई, 2005 को न्यूयार्क में सम्पन्न परमाणु अप्रसार समीक्षा सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया,

अमेरिका - रूस में परमाणु शस्त्र कटौती सन्धि - मई - 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रूस की यात्रा की, और रूस के साथ मित्रता मजबूत करने के लिए परमाणु शस्त्रों में कटौती के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन्धि की शर्तों के अनुसार अमेरिका और रूस दोनों मिलकर साढ़े चार हजार के करीब परमाणु हथियार कम करेंगे। सन्धि के अनुसार

अक्टूबर नवम्बर, 1998 में न्युयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53 वे सत्र में निःशस्त्रीकरण और सम्बद्ध मामलो पर प्रथम समिति ने विचार किया।
उत्तरी कोरिया ने भी 8 सितम्बर, 2006 को पहला आणविक परीक्षण किया।

(ख) शीत युद्ध — द्वितीय विश्व युद्ध के बाद —
शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसे 'उष्ण - शान्ति' के रूप मे जाना जाता है। ऐसी स्थिति में न तो 'पूर्ण रूप से शान्ति' रहती है और न ही 'वास्तविक युद्ध' होता है।

सोवियत संघ - अमरीकी सम्बन्धो को चार युगो मे विभाजित किया जा सकता है। — शीत - युद्ध (1946 - 1962), दितान्त (1963 - 1979), दूसरा शीत युद्ध (1979 - 1984), (1985 - 1991) अन्त या शीत युद्ध का अन्त

शीत युद्ध के अन्त के काल में दोनो देशो ने यह महसूस किया की परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई न कोई समझौता हो जाना चाहिए, जिससे दोनो ही अपने रक्षा उत्पादन और अनुसंधान बजट में हो रही बेतहाशा वृद्धि रोक सके। इसी उद्देश्य से जनवरी 1985 मे अमेरिकी विदेश मन्त्री जॉर्ज शुल्टज और सोवियत विदेश मन्त्री आन्द्रेई ग्रोमिको की मुलाकात एक शुभ संकेत सिद्ध हुई, जिसने गोर्बाच्योव - रीगन शिखर बैठक नवम्बर, (1985) का आधार तैयार कर दिया।
यह पहली शिखर वार्ता "औपचारिक शुरुआत" जैसी रही
अमरीका व सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने को सहमत — सितम्बर, 1987 ई। समझौते के अन्तर्गत मास्को और वाशिंगटन मे परमाणु जोखिम निस्तारण केन्द्र खोले जाने पर सहमति हुई।

सोवियत संघ - अमरीका शिखर वार्ता तथा आई. एन. एफ. सन्धि (1987) पर हस्ताक्षर - सन्धि मे दोनो देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गये, इस सन्धि मे कुल मिलाकर 2,139 परमाणु हथियार नष्ट करने को सहमत हो गये
यह निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी पहला समझौता है।
दोनो महाशक्तिया जांच प्रक्रिया व मोनीटरिंग पर राजी हो गई।
समझौते के अनुसार अमरीका से सोवियत रूस तक सीधी वायु सेवा मई 1988 से आरम्भ होना तय हुआ।

रीगन- गोर्बाच्योव शिखर वार्ता 1 जून, 1988 को मास्को मे रीगन व गोर्बाच्योव के बीच वार्ताओ मे दोनो देशो के विदेश मन्त्रियो ने भूमिगत परमाणु विस्फोटो पर पाबन्दी की सक्षम जांच से सम्बन्धित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, साथ हि अन्तरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलो के प्रक्षेपण पर एक-दूसरे को सूचना देने, सोवियत सांस्कृतिक मन्त्री जखरोफ और अमरीकी सूचना एजेन्सी के निदेशक श्री विक ने 1989-91 के लिए आपसी सहयोग और विनिमय सम्बन्धी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये।

8 दिसम्बर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से गोर्बाच्योव ने घोषणा कि कि वह पूर्वी युरोप के देशो से 5 लाख सैनिक हटा लेगा, और परम्परागत हथियारो मे काफी कटौती कर देगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ को 'दुष्ट साम्राज्य' कहा था।

दिसम्बर (1989) को भूमध्यसागर मे अमरीकी व सोवियत युद्धपोतो पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व गोर्बाच्योव के बीच वार्ता हुई।

दिसम्बर 1989 को सोवियत विदेश मन्त्री शेवर्दनात्से ब्रुसेल्स मे नाटो मुख्यालय पर गये, और युरोपीय आर्थिक समुदाय से 10 वर्षिय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

9 नवम्बर, 1989 को बर्लिन की दीवार ध्वस्त कर दी गई।
1 जुलाई 1990 को दोनो जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो गया।

नाटो द्वारा शीत-युद्ध समाप्ति की घोषणा -

5-6 जुलाई, 1990 को लन्दन में दो-दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन मे राष्ट्रपति बुश ने घोषणा करते हुए कहा कि नाटो व वारसा पैक्ट देशों के बीच शीत-युद्ध अब समाप्त हो चुका है।

19 नवम्बर 1990 को पेरिस मे नाटो व वारसा देशों के उपशासन अध्यक्षों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा युरोप में शीत-युद्ध को समाप्त कर दिया गया।
200 पृष्ठों की इस सन्धि को तैयार करने मे नाटो व वारसा पैक्ट देशों को 21 माह का समय लगा।
सन्धि मे प्रत्येक के लिए परम्परागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या

Date
Page
STUDY BUDDIES

31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव ने "सामरिक हथियारों में कटौती (स्टार्ट) सन्धि पर हस्ताक्षर हुए।

12 दिसम्बर 1991 को 45 वर्ष पुराने प्रतिद्वन्द्वी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ने सुलह-सफाई, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, और कोरियाई युद्ध की पूर्ण समाप्ति के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

अक्टूबर 1991 में नाटो देश, युरोप में अपने परमाणु शस्त्र भण्डार में 80% कि कटौती करने के बारे में सहमत हो गये।

अफगान समझौता - 12 सितम्बर, 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत - 1 जनवरी 1992 से इस अफगानिस्तान को दोनों देशों ने सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतः बन्द कर दी। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप (1979) से दूसरे शीत-युद्ध की शुरुवात हुई थी।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जंग मडल लेकर 13 जून 2000 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। 180 लोगों का प्रतिनिधि

स्टालिन को शीत-युद्ध के जनक के रूप में माना जाता है, वहीं गोर्बाच्योव को शीत-युद्ध का अन्त करने वाला नेता है।

गोर्बाच्योव की ग्लास्नोस्त व पेरेस्त्रोइका नीति

मार्च 1991 में कोयला खान श्रमिकों ने सोवियत संघ में हड़ताल कर दी।

1989-1990 के वर्षों में पूर्वी युरोप के देशों ने स्वतन्त्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ-साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली

1990 में सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

ईरान - ईराक युद्ध की समाप्ति - 1988
अफगान समस्या का समाधान - 1988
नामीबिया की स्वतन्त्रता - 1988
कुवैत की मुक्ति या आजादि - 1991

26 दिसम्बर, 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अन्तिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी।
राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने तथाकथित 'परमाणु बटन' या ब्रीफकेस रूसी नेता बोरिस येल्तसिन को सौंप दिये।

(26). हॉट लाइन एग्रीमेन्ट, 1963 वाशिंगटन (अमेरिका) और क्रेमलिन (रूस) में टेलीफोन और रेडियो का सीधा सम्पर्क स्थापित करने का समझौता था।

(27) शीत-युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल, 1947 को किया।

(28) शीत युद्ध का प्रारम्भ - 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुल्टन स्थान पर चर्चिल द्वारा दिये गये भाषण से माना जाता है।

(29) देतान्त - तनाव शैथिल्य

(30) पं. नेहरू ने कहा था, "शीत युद्ध शक्ति सन्तुलन के प्राचीन विस्तार की नयी अभिव्यक्ति है, यह सिद्धान्तों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है।

(31) रूस में साम्यवादी क्रान्ति - 1917 में हुई थी।

Scanned with CamScanner

(32) द्वितीय मोर्चे का प्रश्न – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जन-धन की क्षति पहुंचायी, तो सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से युरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, लेकिन सोवियत संघ के बार-बार कहने पर भी पश्चिमी देशों ने जर्मनी के विरुद्ध सन् 1944 तक दूसरा मोर्चा नहीं खोला।

(33) लैंड-लीज समझौता – दूसरा मोर्चा न खोलने की चर्चिल की कूटनीति। मास्को के पतन के तहत पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ को सामरिक सहायता दी जाती थी।

(34) कोरिया युद्ध – 1950
सीटो, सैनिक संगठन – 1954
सेन्टो सैनिक संगठन – 1955
आइजनहावर सिद्धान्त – 1956
खाड़ी संकट – 1989-90

1963 – सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि
1963 – परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध सन्धि
1973 – परमाणु आयुध परिसीमन समझौता
1989-90 – में कुवैत को इराक से मुक्त कराया
1987 – आई. एन. एफ. सन्धि, दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत
9 नवम्बर 1989 – बर्लिन की दीवार ध्वस्त होना
1 जुलाई 1990 – जर्मनी का आर्थिक एकीकरण
3 अक्टूबर 1990 – जर्मनी का पूर्ण एकीकरण
1 जुलाई 1991 – वारसा पैक्ट समाप्त
31 जुलाई 1991 – स्टार्ट सन्धि
अक्टूबर 1991 – नाटो शस्त्र भण्डार में 80% की कटौती

Scanned with CamScanner

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

~~अफगान~~
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप - 1979
अफगान समझौता - 12 सितम्बर 1991
सोवियत संघ का बिखराव - 1991

साम्यवाद का अवसान

7 नवम्बर,	1989	को हंगरी में
29 जनवरी,	1990	को आयरलैण्ड में
18 मार्च,	1990	को पूर्वी जर्मनी में
23 मई,	1990	को रोमानिया में
जून	1990	को चेकोस्लावाकिया में
11 फरवरी,	1990	को सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त कर दिया
अगस्त	1991	"बर्लिन की दीवार" बनना।

निर्गुट आन्दोलन का पूर्व अध्यक्ष - युगोस्लाविया

11 दिसम्बर, 1991 - राष्ट्रीय मैस्ट्रिच सन्धि
1917 - बोल्शेविक क्रान्ति
1945 - याल्टा सम्मेलन
1948 - लन्दन प्रोटोकोल

(35) 18 अगस्त 1945 को

बर्नेज, अमेरिकी राज्य सचिव तथा बेविन, ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के सन्दर्भ में कहा कि "हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए।

(36) ब्रेटनवुड्स प्रणाली — 1944

हैरी डेक्सटर व्हाइट और ~~इक~~ इंग्लैंड के जॉन मेयनार्ड कीन्स के मार्गदर्शन में 1944 में ब्रेटनवुड्स में अमरीका के 44 देशों के सम्मेलन में इस प्रणाली को

बाकायदा तैयार किया गया, इस सम्मेलन का मकसद - अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा व विनिमय दरो को स्थिर करना था। इस प्रणाली के निर्माताओ यह यकीन था कि इसे मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया

इसके बाद से दुनिया की हर मुद्रा की कीमत का निर्धारण डॉलर की तयशुदा विनिमय दर से किया जाने लगा।

1944 मे आई एम एफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी यह योजना विनिमय दरो को डॉलर से सम्बद्ध कर खुली बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी।

(37) भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण –

भूमण्डलीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रिया-कलापो, विशेषकर विपणन सम्बन्धी क्रियाओ का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिससे सम्पूर्ण विश्वबाजार को एक ही क्षेत्र के रूप मे देखा जाता है।

भूमण्डलीकरण से अभिप्राय है उन्मुक्त बाजार एवं प्रतिस्पर्द्धा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओ का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समायोजन राष्ट्रीय बाजारो को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे परिवर्तित करना

उदाहरण

उन्मुक्त व्यापार के पिछे सोच यह है कि अमरीका कम्प्युटर जैसे माल उत्पादित करे, जो उसके लिए सुलभ है और भारत चावल जैसे माल उत्पादित करे, जो उसके लिए सुलभ हो।
भारत चावल निर्यात करके कम्प्युटर आयात करेगा जिससे दोनो देशो को लाभ होगा।

(38) सितम्बर

Scanned with CamScanner

(39) भूमण्डलीकरण के कर्ता –
यू.एन.डी.पी. की "ह्यूमैन डवलपमेंट रिपोर्ट" मे भूमण्डलीकरण के तीन कर्ताओ का उल्लेख किया गया है, –
प्रथम "विश्व व्यापार संगठन" जो सदस्य देशो की राष्ट्रीय सरकारो के उपर अपना वर्चस्व एवं प्रभुता रखता है।
द्वितीय "बहुराष्ट्रीय कम्पनियां" जिनकी आर्थिक क्षमता अनेक राष्ट्र राज्यो की कुल सम्पत्ति से ज्यादा है।
तृतीय "अन्तर्राष्ट्रीय गैर- सरकारी संगठन", जिनका तानाबाना समूचे विश्व मे फैला हुआ है।
यह तीनो मिलकर भूमण्डलीकरण को अपनी इच्छित दिशा देते है

(40) भूमण्डलीकरण के दौर में जीतने वाले राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, पूर्व एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया का नाम आता है,
और पिछड़ने वाले देशो में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया आते है

(41) संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि रिपोर्ट (सितम्बर २०००) में स्पष्ट कहा है कि वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रतिक्रियाए शुरू हो गई है, क्योकि ये लाभ बहुत असमान रूप से वितरित है क्योकि वैश्विक बाजार को अभी तक सहभागी सामाजिक लक्ष्यो तक पर आधारित नियमो के अधीन नहीं किया गया है।

(42) 1990 के दशक से भूमण्डलीकरण की शुरूआत हुई।

(43) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सन् २००० मे गठित "वैश्वीकरण के सामाजिक आयामो पर विश्व आयोग" ने फरवरी २००४ की रिपोर्ट में वैश्वीकरण हेतु देशो के लिए कुछ पूर्व शर्तो को अपनाए जाने पर बल दिया है।

(44) राजनीतिक अर्थशास्त्र से अभिप्राय है राज्य एवं राज्य के लोगो के लिए पर्याप्त धन अथवा राजस्व का प्रबन्ध करना।

(45) 1767 में सर जेम्स स्टेयुअर्ट ने पहली बार इस शब्द का प्रवर्तन करते हुए अपनी कृत Inquiry into the Principles of Political Economy का प्रकाशन किया। सर विलियम पैटी (1623-87) को राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है।

(46) रिकार्डो के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन नियमों का निर्धारण करना है जो वितरण का नियामकीकरण करें। राजनीतिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिकतम वस्तुओं का संग्रह करना

(47) गेलब्रेथ - आज का राज्य औद्योगिक राज्य है

(48) अनुच्छेद (51) भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के अनुच्छेद (51) में कर दिया गया है। जिसके अनुसार राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करेगा, राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा।

(49) भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के तीन आधार स्तम्भ बनाये - शान्ति, मित्रता, समानता।

(50) डा. वी. पी. दत्त के अनुसार "ऐतिहासिक परम्पराओं, भौगोलिक स्थिति, तथा भूतकालीन अनुभव, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व रहे हैं।

(51) जे. बन्द्योपाध्याय ने अपनी पुस्तक "दि मेकिंग ऑफ इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी" में भारतीय विदेश नीति के मार्गिक आयाम बताये जिसके तीन सूचक हैं - सुरक्षा, विदेशी सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

(52) पं. नेहरू के शब्दों के किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित हैं = दो स्थाई राष्ट्रीय हित - देश की अखण्डता, और सुरक्षा; अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास।

Scanned with CamScanner

(53) 1953 मे स्वेज संकट

(54) ब्रेझनेव - एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा
(55) 1971 - भारत - सोवियत सन्धि
(56) 1975 - आर्यभट्ट, 1979 भास्कर, 1981 - ऐप्पल, 1981 - भास्कर II

आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर नामित किया गया। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉसमॉस - 3 एम प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया
निर्माता - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

भास्कर - 1 और 2 उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित दो उपग्रह थे, जिन्होंने भारत के पहले कम कक्षा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला का गठन किया

एप्पल उपग्रह - एप्पल उपग्रह का पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरीमेंट था, यह भारत में निर्मित पहला संचार उपग्रह था यह प्रयोगिक संचार उपग्रह था, जिसमे केवल सी-बैंड ट्रांसपाडर थे एप्पल उपग्रह की लॉन्चिंग 19 जून 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के एरियन रॉकेट से की गई
प्रमोचन स्थल - कौरू (सीएसजी), फ्रेंच गियाना

1960 - सिन्धु जल सन्धि भारत - पाक के बीच
1966 - ताशकन्द समझौता भारत - पाक
1977 फरक्का समझौता भारत - बांग्लादेश
1963 आणविक परिक्षण प्रतिबन्ध सन्धि
1968 परमाणु अप्रसार सन्धि
1974 भारत ने अणु शक्ति का परिक्षण किया (पोखरण - I)
1996 भारत ने सी.टी.बी.टी को वीटो कर दिया
13, मई 1998 भारत द्वारा पोखरण - II विस्फोट

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

(57) पंचशील के पांच सिद्धान्तों का प्रतिपादन सर्वप्रथम अप्रैल, 1954 को तिब्बत के सम्बन्ध मे भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते मे किया गया।

1955 के बाण्डुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रो ने पंचशील सिद्धान्त को मान्यता दी और उसमे आस्था प्रकट की।

गल्फ कॉपोरेशन काउन्सिल मुक्त व्यापार समूह

साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता

सार्क देशो के बीच 1 जनवरी 2006 से साफ्टा विधिवत रूप से स्थापित होकर कार्यान्वित है।

सार्क - "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन" के आठ देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल

(58) "अफ्रीका कोष" एकजुटता कोष है, यह अगली पंक्ति वाले अफ्रीकी देशो को आश्वासन है कि नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई मे वे अकेले नहीं बल्कि नाम (NAM) के सभी देश उनके साथ है।

(59) "नाम" के संस्थापक या कर्णधार पं. जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो व नासिर है।

(60) "पृथ्वी रक्षा कोष" शब्द का विचार सर्वप्रथम राजीव गाँधी ने दिया

(61) गुट निरपेक्ष आन्दोलन की संस्थाएं - ① समन्वय ब्यूरो ② विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन ③ शिखर सम्मेलन

समन्वय ब्यूरो - यह निर्गुट देशो मे निरन्तर विचार-विमर्श करने और कार्य मे समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी संस्था है। वर्तमान मे इसके सदस्यो की संख्या 66 है। इसे गुटनिरपेक्ष

Scanned with CamScanner

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन -
बे, का,लु अ,को, ह,न, ह,बे, ज,का, ड,कु, ह,सा,ते, मा

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था -
गुट निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा की गई नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के क्रियान्वयन के रूप में 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और "एक कार्यवाही योजना" के प्रस्ताव पारित किये।

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 मे बेलग्रेड मे हुआ, इसमे भाग लेने वाले देशो की संख्या 25 थी।

भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्त्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविय के मार्शल टीटो,
इन्होने 1961 गुटनिरपेक्षा के पांच आधार स्वीकार किये थे, -
(1) सदस्य देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो,
(2) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो,
(3) सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो,
(4) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो।
(5) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न दी हो

शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष बाद आयोजित किये जाते है।

लुसाका व कोलम्बो शिखर सम्मेलन में यह मांग की गई थी गुटनिरपेक्ष देशो का स्थायी सचिवालय हो किन्तु आज तक यह अस्तित्व मे नहीं आया।
हरारे मे लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आन्दोलन को "अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आन्दोलन" कहा।
A funny movment of international fallacy

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्त्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आन्दोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

भारत पकिस्तान सम्बन्ध –

(1) हैदराबाद विवाद – बाद मे हैदराबाद रियासत को भारत मे सम्मिलित कर लिया गया और निजाम को 50 लाख रूपये प्रिवीपर्स के रूप में देना तय किया।

(2) जूनागढ विवाद –

(3) ऋण की अदायगी का प्रशन –

दोनो देशो के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच सन्तोषजनक बंटवारा करना था।

जो हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी सम्पति छोड़कर गये थे उसका मूल्य 3 हजार करोड़ रूपये था, जबकि जो मुसलमान भारत मे अपनी सम्पति छोड़कर गये थे उसका मूल्य 300 करोड़ रूपये था

1950 मे नेहरू-लियाकत अली समझौते द्वारा इस समस्या का सामाधान

1949 मे एक अमरीकी विशेषज्ञ डेविड लिलियेन्थल ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी एव व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी, और इसके लिए विश्व बैंक से मदद लेने की सिफारिश की।

सितम्बर 1951 मे इस बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया।

यूजीन ब्लेक और उसके बाद मि. इलिफ के सहयोग से वर्षो तक बातचीत चलने के उपरान्त -

19 सितम्बर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता हो गया। इसको 1960 का सिन्धु जल सन्धि कहते है, जिस पर प्रधानमन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अय्यूब खां ने स्वंय रावलपिंडी मे हस्ताक्षर किये।

(5) शरणार्थियो का प्रश्न

(6) कश्मीर विवाद –

अलाप माईकल के शब्दो मे "कश्मीर समस्या अनिवार्यत: भूमि या पानी की समस्या नही, यह लोगो और प्रतिष्ठा की समस्या है।

अगस्त 1947 मे कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय मे कोई तात्कालिक निर्णय नही लिया, पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था।

22 अक्टूबर, 1947 को उत्तर - पश्चिम सीमा प्रान्त के कबायलियो ने एव अनेक पाकिस्तानियो ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, 4 दिनो के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्री नगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहुंचे।

26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की।

27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया

Scanned with CamScanner

Date _/_/_
Page ___
STUDY BUDDIES

जनवरी, 1948 को भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया

जनवरी, 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में यह शिकायत की कि कबायलियों ने पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है सुरक्षा परिषद् ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों — चैकोस्लोवाकिया, अर्जेण्टाइना, अमरीका, कोलम्बिया और बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की।

—x—x—x—

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग —

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है, ये देश में लोगों के जीवन, स्वतन्त्रता, समता से सम्बन्धित अधिकारों की रक्षा करता है,

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ, वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं इस कारण यह एक बहुसदस्यीय संस्था है।

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं।

(5) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल - 5 वर्ष या 70 वर्ष तक का होता है।

(6) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति मे प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता मे समिति गठित होती है जिसमे लोक सभा अध्यक्ष, गृहमन्त्री, मुख्य विपक्षी दल का नेता और राज्य सभा का उप-सभापति शामिल होते है।
राष्ट्रपति नही होता।

(7) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नही रखता है और ना ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है.
इसके कार्यो मे -
कोर्ट मे लम्बित किसी मानवाधिकार से सम्बन्धित कार्यवाही मे हस्तक्षेप करना, कैदियो के मानवाधिकार की रक्षा करना तथा मानवाधिकार के क्षेत्र मे शोध को बढ़ावा देना शामिल है।

(8) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली मे स्थित है, एक स्वायत विधिक संस्था है. इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी

(9) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम मे 2006 मे परिवर्तन किया गया है। अब इसमे सदस्यो की संख्या 5 से 3 कर दी गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद्
राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया था।

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन अगस्त 1952 मे किया गया था

(2) सभी राज्यो के मुख्यमन्त्री इसके सदस्य होते है, इसके अलावा सभी कैबिनेट मन्त्री, सभी केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमन्त्री / प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते है।

Scanned with CamScanner

(3) राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है। इसके पहले अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू थे।

(4) किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा बनाया जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है।

(5) प्रदेशों में कानून व व्यवस्था को बनाये रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद् के उद्देश्यों में नहीं आता है, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना राज्य की जिम्मेदारी है।
इसके उद्देश्यो में — किसी योजना के क्रियान्वयन मे राज्यो से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनो का इंतजाम करना तथा देश मे सन्तुलित विकास को बढ़ावा देना है।

(6) राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य - राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन मे संसाधनो का अनुमान लगाना और सुझाव देना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना।

(7) राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राज्यो का राज्यपाल नहीं होता है।

(8) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक एक वर्ष मे कम से कम 2 बार होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

भारत-पाक समझौते मे - संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य

संयुक्त राष्ट्र आयोग ने मौके पर स्थिति का अध्ययन कर 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने और समझौता करने हेतु कुछ आधार प्रस्तुत किये।

इस सिद्धान्त के आधार पर दोनों पक्ष एक लम्बी वार्ता के बाद जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये।
कश्मीर मे जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमरीकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया।
युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्गमिल क्षेत्रफल रह गया। इस क्षेत्र को पाक ने "आजाद कश्मीर" कहा।
भारत के अधिकार में 53,000 वर्गमील क्षेत्रफल था।

बगदाद पैक्ट - (सेन्टो)

6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय भारत मे होने की पुष्टि कर दी
भारत सरकार ने संविधान मे संशोधन कर 14 मई 1954 को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया।
26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया।

1965 मे भारत-पाक युद्ध -

अप्रैल 1965 में कच्छ के रन को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया।
कच्छ के रन मे उत्पात के साथ-साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारम्भ कर दी। चीन कि सहायता से हजारों सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था।

Scanned with CamScanner

इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारतीय भू-भाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध आरम्भ हो गया

4 सितम्बर, 1965 को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पास कर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे युद्ध-विराम करें।

22 सितम्बर 1965 को दोनों देशों में युद्ध बन्द हो गया।

ताशकन्द समझौता –

सोवियत प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां और भारत के प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकन्द में आमन्त्रित किया

4 जनवरी, 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 10 जनवरी, 1966 को प्रसिद्ध ताशकन्द सम्मेलन पर हस्ताक्षर कर दिये।

भारत – पाक युद्ध, 1971 तथा शिमला समझौता – 3 जुलाई 1972 को।

पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में शेख मुजीब के नेतृत्व में स्वायत्तता का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, उस समय याह्या खां ने बंगालियों पर अत्याचार करना प्रारम्भ कर रखा था, अत्याचार से तंग आकर बंगाली भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे, इसी समय 2 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी।

4 दिसम्बर 1971 को जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर भारी बम वर्षा शुरू कर दी।

16 दिसम्बर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल नियाजी ने भारत के ले. जनरल जगजीतसिंह अरोरा के सम्मुख आत्म समर्पण कर दिया। उनके साथ उनके 93 हजार सैनिकों ने भी हथियार डाल दिये बंगलादेश स्वतन्त्र हो गया और भारत ने एकतरफा युद्ध-विराम कर दिया

3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के मध्य शिमला में समझौता हो गया। पाकिस्तान के जनरल याह्या खां के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई।

Scanned with CamScanner

(२) भारत विरोधी नीति अर्थात "जिहाद" (धार्मिक युद्ध) की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं -

सितम्बर 1963 मे हजरत बाल-काण्ड को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर मे साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया।

1965 मे बड़े पैमाने पर कश्मीर मे घुसपैठियो को भेजना शुरू कर दिया

1969 मे रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खां ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठने से इंकार कर दिया।

(3) पाकिस्तान की सीटो, सेण्टो की सदस्यता तथा भारत की किलेबन्दी से उत्पन्न होने वाली समस्या -

पाकिस्तान ने सीटो (1955) और सेण्टो (1955) जैसे सैनिक संगठनो का सदस्य बनकर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की अमरीका ने भारत के विरोध पर भी पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र दिये साथ ही पाकिस्तान के नेताओं ने बड़े भड़काने वाले वक्तव्य भी दिये जिनमे जम्मू व कश्मीर की स्थिति को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया।

अमरीका व चीन ने पाकिस्तान को आधुनिकतम टैंक तोड़क मिसाइलें धरती-से-धरती और आकाश मे मार करने वाली मिसाइलें, एफ-15, एफ 16, एफ-16 सी जैसे विध्वंसक वायुयानो और अवाक्स की सप्लाई करने लगे।

भारत पाक सम्बन्ध -

नवम्बर 1974 मे दोनो देशो के मध्य डाक, तार, यात्रा आदि विषयो के बारे में समझौता हुआ।

1976 में दोनो देशो के मध्य कूटनीतिक सम्बन्धो को पुनः स्थापित किया

14 अप्रैल 1978 को सलाल-जल-विद्युत परियोजना के सम्बन्ध मे एक सन्धि हुई।

1979 मे पाकिस्तान ने सेण्टो की सदस्यता त्याग दी, तथा सितम्बर 1979 मे हवाना शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता प्राप्त कर ली।

Date __/__/__
Page _____
STUDY BUDDIES

दिसम्बर 1988 मे पाकिस्तान मे बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना हुई।
भारत के प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 मे दिल्ली - लाहौर - दिल्ली बस सेवा आरम्भ करने की पहल की।

मई 1992 में इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक रविन्द्र मितल के अपहरण उन्हे शारीरिक यातनाएं देने व निष्कासन के बाद दोनो देशो मे होने वाली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित कर दी गई।

6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने गौरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की।

8 मई 1999 से प्रारम्भ हुई भारतीय सेना की जम्मु-कश्मीर के करगिल - द्रास - बटालिक व मश्कोह क्षेत्रो से पाकिस्तानी सेना व उसके द्वारा समर्थित घुसपैठियो को भारतीय सेना की आक्रामक कार्यवाही को 11 जुलाई 1999 को रोक दिया गया

12 अक्टूबर, 1999 को पाकिस्तान के थलसेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर स्वय को देश का मुख्य आदेशात्मी घोषित कर दिया।
मुशर्रफ का यह व्यक्तव्य - "दक्षिण एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारो का इस्तेमाल सम्भव है।

आगरा शिखर वार्ता - 14 जुलाई, 2001 - प्रधानमन्त्री वाजपेयी व पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बिच हुई।

भारत - पाक के बीच तीसरा सड़क मार्ग 20 जनवरी, 2006 को अमृतसर व लाहौर के बीच बहुप्रतीक्षित बस सेवा प्रारम्भ कर खोला गया।
अमृतसर व ननकाना साहेब के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 से प्रारम्भ हुई।
अमृतसर ननकाना साहेब बस सेवा को प्रारम्भ करके भारत व पाकिस्तान ने सीमापार आने-जाने का यह छठा मार्ग खोला है। इसमे चार सड़क व दो रेलमार्ग है।

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

इससे पूर्व दिल्ली - लाहौर के मध्य — सदा - ए - सरहद
श्री नगर - मुजफ्फराबाद के मध्य — कारवां - ए - अमन
लाहौर, अटारी के मध्य — समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी
थार - एक्सप्रेस का परिचालन — 18 फरवरी 2006 को हुआ

14-15 सितम्बर, 2006 मे विदेश सचिव स्तर वार्ता फिर से शुरू हुई

26 मई, 2014 को प्रधानमन्त्री ~~मनमोहन~~ नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह मे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमन्त्रित किया।

कुलदीप नैयर — भारत और पाकिस्तान 'दूर के पड़ोसी' है।

13 सितम्बर, 2001 को पाकिस्तान की ओर से संसद भवन परिसर में आतंकी हमले किए।

कच्छ के रन (सरक्रीक) का प्रश्न — कच्छ का रन दलदली क्षेत्र होने के कारण होने के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान सिन्ध व कच्छ की रियासत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता था।
जुलाई, 1948 मे पाकिस्तान ने यह प्रश्न उठाया कि सिन्ध - कच्छ सीमा विवादास्पद है।
उसका कहना है कि कच्छ का रन चूंकि एक मृत समुद्री भाग है अतः उसका मध्य भाग दोनों देशों की सीमा होनी चाहिए।

तुलबुल नौवहन परियोजना (वुल्लर बैराज)

24 दिसम्बर, 1999 को पाकिस्तान द्वारा इण्डियन एयरलाइन का विमान अपहरण काण्ड भी इसी तरह कूटनीतिक घटना रही

अयोध्या मे रामभद्रि परिसर में आतंकवादी हमला (2005)

Scanned with CamScanner

26 नवम्बर, 2008 मे मुंबई मे आतंकी हमला किया गया था।

2001 मे दिल्ली में संसद भवन में आतंकी हमलो के बाद बंद कर दी गई दिल्ली - लाहौर बस सेवा 11 जुलाई, 2003 को पुन: प्रारम्भ की गई।

1 जनवरी, 2004 से दोनों देशो के बीच विमान सेवाएं भी प्रारम्भ कर दी गई।

कश्मीर शासक का कश्मीर को स्वतन्त्र रखने का निर्णय -

स्वतन्त्र जम्मू - कश्मीर राज्य भूगोल, भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से छ: अलग - अलग क्षेत्रो का समूह था - (1) जम्मू, (2) लद्दाख, (3) बलूचिस्तान, (4) गिलगिट, (5) मीरपुर और पुंछ (6) कश्मिर घाटी

1 जनवरी, 1949 को जम्मू - कश्मीर में युद्धबन्दी की घोषणा के साथ जम्मू कश्मीर रियासत का दो भागो में विभाजन हुआ।

भारत के अधीन जो क्षेत्र है, वह है - (1) जम्मू कश्मीर (2) लद्दाख (3) कश्मीर घाटी तथा पुंछ नगर व उसके आस - पास का गिलगिट, द्रास का क्षेत्र व करगिल

पाकिस्तान के अधीन क्षेत्र - (1) बलूचिस्तान, (2) कड़ी टीटवाल की

Date ___/___/___
Page ______
STUDY BUDDIES

IV SAM

भारत – श्रीलंका सम्बन्ध –

श्रीलंका भारत के दक्षिण मे स्थित एक छोटा द्वीप है।
भारत व श्रीलंका की दूरी पाक जलडमरूमध्य पार करके बहुत कम समय मे तय की जा सकती है।
मौर्य सम्राट अशोक ने यहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

इसके पश्चिम मे पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी है, पूरब और उत्तर में बंगाल की खाड़ी, एवं दक्षिण में हिन्द महासागर है।
यहां बहुमत सिंहली भाषा-भाषियो का है।
हिन्द महासागर से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केन्द्र है,

श्रीलंका में 1948 के सीलोन नागरिकता अधिनियम एवं सीलोन संसदीय अधिनियम 1949 के द्वारा इन्हें (प्रवासी भारतीयो) को मताधिकार से वंचित कर दिया

भारतीय प्रवासियों की समस्या –

इस समस्या के समाधान के लिए जनवरी 1954 में जॉन कोटलेवाला नई दिल्ली आये और नेहरू के साथ उनका एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू–कोटलेवाला समझौता कहते हैं।

कच्छदीव टापू का मसला –

कच्छदीव भारत और श्रीलंका के समुद्री तटो के बीच 200 एकड़ का एक छोटा-सा द्वीप है, विवाद का कारण इस द्वीप के आस-पास तेल के काफी बड़े भण्डार होने की आशा की जाती थी।

लेकिन 28 जून, 1974 को दोनो देशो मे एक समझौता

श्रीलंका में आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक दोनों में सिंहली बहुसंख्यक वर्ग का एकाधिकार है,
दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है. और सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

श्रीलंका के तमिल समुदाय ने अपने आपको "तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट" (TULF) नाम के राजनीतिक संगठन में संगठित कर रखा है।

तमिलों के कुछ उग्रवादी संगठन "ईलम" ऐलाम -(Ealam) नाम के एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते है परन्तु तमिलों का प्रमुख संगठन "तुल्फ" स्वायत्ता की ही मांग करता है।

"शिनबेत" और "मोसाद" → इजरायल की खुफिया संस्थाएँ।

"श्रीलंका के से दूर रहने का सिद्धान्त" - (~~Had~~ Hands off Sri Lanka) श्रीमती इन्दिरा गांधी

(1987) श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों का सफाया करने के लिए जनवरी, में जाफना की आर्थिक नाकेबन्दी की, मई, 1987 में श्रीलंका की 1987 सेना ने जाफना पर चौतरफा हमले भी किये

"कोलम्बो समझौता" 29, जुलाई, 1987
गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने के बीच कोलम्बो में 29 जुलाई, 1987 को एक 18-सूत्री समझौता हुआ।

श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेनाएं -
राजीव - जयवर्द्धने समझौते के अन्तर्गत भारतीय शान्ति सेनाएँ श्रीलंका भेजी गयीं।
नवभारत टाइम्स के सम्पादक राजेन्द्र माथुर के अनुसार, "श्रीलंका की किस्मत संवारने के लिए जैसा रचनात्मक दखल भारत ने किया

वैसा 1947 के बाद भारत ने इस उपमहाद्वीप में और कहीं नहीं किया।
जनवरी 1989 से भारतीय शान्ति सेना की वापसी श्रीलंका से शुरू हो गयी, मार्च 1990 तक शान्ति सेना की सभी टुकड़िया भारत लौट आयी।

एल. टी. टी. ई. (Liberation Tiger of Tamil Elam)
(L.T.T.E)
(TULF) तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट
(PLOTE) पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम

नार्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका सरकार व तमिल विद्रोहियों के संगठन 'लिट्टे' के मध्य एक अनिश्चितकालीन युद्ध विराम समझौता 23 फरवरी, 2002 से प्रभावी हो गया।

भारत श्रीलंकाई नौसेना के युद्धपोत सयुरा को रिफिट करने पर भी सहमत हुआ।

भारत बांग्लादेश सम्बन्ध - 1955 मे पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरूआत यहीं से हो गई। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओ को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुररहमान की अगुआई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आन्दोलन शुरू हुआ। 1971 के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी

भारत को बांग्लादेश के अनुरोध पर इस समस्या मे हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश मे मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ। जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्हो पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसम्बर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग 93,000 युद्ध बन्दी बनाये गये। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने।

(1) 1947 - भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना।

(2) 1949 - अवामी लीग की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था।

(3) 1966 - छः बिन्दु आन्दोलन की घोषणा।

(4) 1970 - शेख मुजीब के नेतृत्व में अवामी लीग ने चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया, पाकिस्तान की सरकार ने इन परिणामो को मानने से इनकार कर दिया।

(5) 1971 - शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। नए देश का नाम बांग्लादेश रखा गया।

Scanned with CamScanner

→ (6) 1972 – शेख मुजीब प्रधानमन्त्री बने, उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली।

→ (7) 1974 – देश में भीषण बाढ़ से पूरी फसल तबाह 28,000 लोग की मौत, देश मे आपात स्थिति, राजनीतिक गड़बड़ियों की शुरुआत।

→ (8) 1975 – शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। अगस्त में हुए सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई, देश में सैनिक शासन लागू हो गया।

→ (9) 1976 – सैनिक शासन ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया।

→ (10) 1977 – जनरल जिया - उर - रहमान राष्ट्रपति बने। इस्लाम को संविधानिक मान्यता दी गई।

→ (11) 1979 – देश मे चुनाव हुए और सैनिक शासन समाप्त हुआ। जनरल जिया - उर - रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल किया

→ (12) ~~1982~~ 1982 – जनरल जिया तख्ता ~~पट~~ पलट के बाद जनरल एरशाद सत्ता में आए। संविधान और राजनीतिक दलों की वैधता समाप्त की गई।

→ (13) ~~1981~~ 1981 –

→ (12) 1981 – जनरल जिया तख्ता पलट कि बाद कोशिश में मारे गए अब्दुल सतार राष्ट्रपति बने।

→ (13) 1982 – एक और तख्ता पलट के बाद जनरल एरशाद सत्ता में आए। संविधान और राजनीतिक दलों की वैधता समाप्त की गई।

→ (14) 1983 – सभी स्कूलों में अरबी और कुरान की पढ़ाई के जनरल एरशाद के फैसले के खिलाफ आन्दोलन शुरू हुए, सीमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी गई। एरशाद राष्ट्रपति बने।

Scanned with CamScanner

1987 – विपक्ष की हड़ताल के बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई।
1988 – एक-तिहाई देश पानी में डूबा, लाखों लोग बेघर हुए।
1990 – भारी जन-विरोध के बाद एरशाद पद से हटे।
1991 – भ्रष्टाचार के आरोप में एरशाद जेल भेजे गए। जनरल जिया उर-रहमान की विधवा खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बनी। संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए गए।
– चक्रवाती तूफान ने लगभग डेढ़ लाख लोगों की जान ली।
1996 – अवामी लीग सत्ता में लौटी, शेख हसीना प्रधानमन्त्री बनी। देश में हड़तालों का दौर शुरू हुआ।
1998 – बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचाई. 1975 के मुजीब हत्याकाण्ड के लिए जिम्मेदार 15 पूर्व सैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई।
2001 – आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हार गई और धार्मिक दलों के समर्थन के साथ जातीय पार्टी सत्ता में आई और बेगम खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बनी
2008 – भारी बहुमत के बाद शेख हसीना फिर से प्रधानमन्त्री बनी।
2013 – जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता अब्दुल कादर मुल्ला को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध-अपराधों के लिए फांसी दी गई।

भूतपूर्व विदेश मन्त्री धावला – का कहना था कि राजनीतिक, वैधानिक और नैतिकता की दृष्टि से बांग्लादेश को मान्यता देना न्यायोचित है। "बांग्लादेश का उद्भव हमारे अच्छे पड़ोसी की दृष्टि से स्वागत योग्य है।

3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर बमबारी कर इस उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया। दो सप्ताह बाद घमसान लड़ाई के बाद बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालने पड़े। बांग्लादेश आजाद हुआ और शेख मुजीबुर्रहमान रिहा कर दिये गये।

बांग्लादेश का निर्माण भारत-पाक युद्ध के दौरान 16 दिसम्बर, 1971 को हुआ। भारत ही सबसे पहला देश है जिसने 6 दिसम्बर, 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी।

Scanned with CamScanner

जब 16 दिसम्बर, 1971 को बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिये तो स्वतन्त्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया।
शेख मुजीब ने कहा भारत बांग्लादेश एक असीम भाई-चारे में बंध गये हैं उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा"।

(1) 19 मार्च, 1972 को मैत्री सन्धि - शेख मुजीब और श्रीमती गांधी के बीच हुई।
(2) 25 मार्च 1972 को व्यापार समझौता - जिसके अनुसार सीमाओं के दोनों तरफ सोलह - सोलह किलोमीटर तक स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था थी।
(3) आर्थिक सहायता -
(4) सांस्कृतिक समझौता - 30 अप्रैल सितम्बर, 1972
(5) मई 1974 में बांग्लादेश और भारत के मध्य सीमांकन समझौता - जिसके अनुसार भारत ने दाहाग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने बेरूबाड़ी पर भारतीय अधिकार स्वीकार कर लिया।

15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या कर दी गई, पहले खोन्दकर मुश्ताक अहमद और फिर 6 नवम्बर, 1976 को जस्टिस अबू सादात सयाम राष्ट्रपति बने।
30 जनवरी, 1977 को मेजर जनरल-जिया-उर-रहमान ने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बनकर सत्ता पर अधिकार कर लिया।
मई 1981 में जिया-उर-रहमान की हत्या कर दी गई।
24 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति अब्दुल सतार के असैनिक शासन का तख्ता पलट कर लेफ्टीनेंट जनरल एच. एम. इरशाद मुख्य मार्शल लॉ. प्रशासक बन गये।

(6) फरक्का समस्या - बांग्लादेश ने गंगा के पानी के बंटवारे की समस्या (फरक्का विवाद) के लिए दोनों देशों के बीच 26 सितम्बर, 1977 को एक समझौता किया, यह 5 नवम्बर, 1977 से लागू हुआ। यही समझौता फरक्का समझौता कहलाता है। फरक्का समझौता गंगा के पानी पर की समस्या का स्थायी समाधान नहीं था, अतः इसे 1982 के समझौते द्वारा रद्द कर दिया गया।

Scanned with CamScanner

बाग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने अक्टूबर 1982 में भारत की यात्रा की और "स्मरण पत्र" पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 1977 के फरक्का समझौते को रद्द कर दिया और संयुक्त नदी आयोग को अगले 18 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा। फरक्का समझौता 1977 में जनता सरकार के काल में हुआ था

मुहरी नदी सीमा - विवाद - 1974 के समझौते के अनुसार मुहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही भारत - बाग्लादेश की सीमा रेखा है। त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मुहरी नदी के भारतीय तट पर है।

नवमूर द्वीप विवाद - नवमूर द्वीप विवाद बंगाल की खाड़ी में उभरा एक नया द्वीप है। इसका क्षेत्रफल केवल 12 वर्ग किलोमीटर है। बाग्लादेश इसे 'दक्षिण तलपत्ती' कहता है। और भारत इसे 'पुरबाशा' की संज्ञा देता है अगस्त 1981 में बांग्लादेश के आठ युद्धपोतो ने इस पर कब्जा करने का विफल प्रयास किया।

चकमा शरणार्थियों की समस्या

एक अन्य समझौते के अन्तर्गत भारत ने बांग्लादेश को भारत के कूच-बिहार में स्थित दाहग्राम और अंगारपोटा के दो अन्तः क्षेत्रो को बांग्लादेश के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए स्थायी पट्टे पर एक तीन बिघा गलियारा प्रदान कर दिया। यह गलीयारा 178×85 मीटर है। इस गलियारे पर भारतीय सम्प्रभुता रहेगी परन्तु भारत बांग्लादेश से जो एक टका किराये के रूप मे लेता था उसे समाप्त कर दिया, एक ऐसा क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र कूचबिहार को शेष भारत से जोड़ता है।

30 जुलाई 1983 को दोनो देशो के मध्य तीस्ता जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के तदर्थ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गये

फरक्का में गंगा नदी के जल बटवारे पर भारत व बांग्लादेश के बीच सहमति के समझौते पर 22 नवम्बर, 1985 को नई दिल्ली मे हस्ताक्षर हुए।

Scanned with CamScanner

बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना सितम्बर 1991 तथा बेगम खालिदा जिया के प्रधानमन्त्री बनने से भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों में मधुरता आने के अवसर बढ़ गये।

गंगाजल बंटवारा: ऐतिहासिक सन्धि (दिसम्बर 1996)

त्रिपुरा में लगभग 50 हजार से अधिक चकमा शरणार्थियों की बांग्लादेश वापसी के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य 9 मार्च, 1997 को अगरतला में एक समझौता सम्पन्न हुआ।

जून 1999 — कोलकाता - ढाका बस सेवा प्रारम्भ की गई। → जून 1999 को

कांटेदार बाड़ का मुद्दा — असम समस्या के समाधान और विदेशियों के भारत में गैर-कानूनी तौर पर प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर 32,000 किलोमीटर पर कांटेदार तार लगाने का निर्णय लिया।

अप्रैल 2001 बांग्लादेश की सेना का भारतीय गांव पर कब्जा और भारतीय जवानों के साथ क्रूर बर्ताव। मेघालय में

भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लगभग 111 गलियारे ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों का कब्जा तो है, लेकिन इस कब्जे के बारे में विवाद है।

13 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में शेख हसीना को शान्ति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इन्दिरा गांधी शान्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

6 सितम्बर 2011 को भारत व बांग्लादेश के वर्षों पुराने सीमा विवाद को हल करते हुए ऐतिहासिक सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में 162 छोटे क्षेत्रों के आदान-प्रदान पर सहमति बनी।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तथा पेट्रोबांग्ला ने 17 फरवरी 2014 को बंगाल की खाड़ी में दो उथले जल ब्लॉकों में तेल तथा गैस की खोज और उत्पादन के लिए उत्पादन सम्बन्धी दो साझा करारों पर

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है जबकि बांग्लादेश ने भारत सरकार द्वारा संचालित तेल कम्पनी ओवीएल को गैस तथा तेल की खोज के लिए जल ब्लॉक प्रदान किए।

जुलाई 2006 में दोनों देशों के बीच यात्री रेलगाड़ी सेवा प्रारम्भ करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

IV - AM

भारत चीन सम्बन्ध →

1949 में कोमिन्तांग सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई।

माओ नीति शक्ति को "बन्दूक की नली" से प्राप्त करती है।

1942 में च्यांग काई शेक ने भारत की यात्रा की थी, जिससे भारत में चीन के जापानी साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष के प्रति सहानुभूति फैल गई।

अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रान्ति का भारत ने स्वागत किया। गैर-साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की।

भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया।

सितम्बर 1949 1950 में सेनफ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी सन्धि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया था।

29 जून 1954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत से अपने "अतिरिक्त देशीय अधिकारों" को चीन को सौंप दिया। भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया।

अप्रैल 1955 - बाण्डुंग सम्मेलन - नेहरू और चाऊ-एन-लाई के साथ रहा।

Scanned with CamScanner

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

पामर – साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था।

विन्सेंट शीयन – चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया, सम्भवतः विश्व में उतना किसी ने भी नहीं किया।

पंचशील समझौता – 29 अप्रैल, 1954 को भारत-चीन के बीच पंचशील का समझौता हुआ।

भारत व चीन के बीच लगभग 3500 Km. की सीमा रेखा है।

चीन People's Republic of China के नाम से एक साम्यवादी देश बना।

McMahon Line तब के नेफा (NEFA - North-East Frontier Agency) और आज के अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है, उसे McMahon Line कहते हैं. जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने 1914 में मिलकर तय किया था.

पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, बौद्ध अभिलेखों में भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए पंचशील नियम मिलते हैं, बौद्ध अभिलेख से ही भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरू ने पंचशील शब्द को चुना था।

इस समझौते के अन्तर्गत भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार कर लिया। भारत को 1904 की Anglo-Tibetan Treaty के तहत तिब्बत के सम्बन्ध में जो अधिकार मिले थे, भारत ने वे सारे अधिकार इस सन्धि के बाद छोड़ दिए।

1957 के सितम्बर महीने में चीन की सरकारी अखबार People's daily में एक खबर छपी की चीन के सिकियांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क पूरी तरह बन चुकी है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

सिक्यांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क अक्साई चीन से होकर जाती है। यह वही इलाका है जिसे भारत अपना मानता है।

1956 में तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया जो 1959 तक चलता रहा। इस विद्रोह को दलाईलामा का समर्थन प्राप्त था। चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला।

31 मार्च 1959 को दलाईलामा ने 8 व्यक्तियों के दल के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली।

अभी हाल ही में (5 जनवरी 2000) को तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भारत में शरण ली, करमापा को शरण देने के विरोध में चीन ने उसे शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों का उल्लंघन माना।

पचंशील समझौते की 8 साल की Validity थी, Validity खत्म होने के ठीक बाद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया जिसमे भारत को हार का मुँह देखना पड़ा।

सीमा-विवाद 1950-51 मे साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया।

17 जुलाई, 1954 को चीन ने एक पत्र द्वारा भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बूजे नामक चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है, बूजे भारत में बड़ा-होती के नाम से प्रसिद्ध था। चीन के विरुद्ध-पत्र का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने लिख दिया कि

मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 20 अक्टूबर को चीनी सेनाओं ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया।

21 नवम्बर, 1962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी।

कोलम्बो प्रस्ताव – भारत और चीन के इस युद्ध से एशिया व अफ्रीका के कुछ मित्र राज्यों ने दोनों देशों के सीमा-विवाद को हल करवाने के उद्देश्य से श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में 10 दिसम्बर से 12 दिसम्बर, 1962 तक एक सम्मेलन किया।

चीन-पाकिस्तान – पाकिस्तान ने चीन से हाथ मिलाया और उसने कराकोरम क्षेत्र में चीन को स्थाई रूप से बसा दिया। पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 2,600 वर्ग मील का भू-भाग चीन को सौंप दिया।
चीन के आणविक वैज्ञानिक पाकिस्तान के लिए क्वेटा अणु संयंत्र में काम करते रहे। 16 सितम्बर, 1965 को चीनी सरकार ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया।

12 फरवरी, 1979 से प्रारम्भ होने वाली अपनी चीन यात्रा को वाजपेयी ने (विदेश मन्त्री) "टोही मिशन" की संज्ञा दी थी।
चीन द्वारा 17 फरवरी, 1979 को वियतनाम पर आक्रमण किये जाने से वाजपेयी अपनी 'चीन यात्रा को अधूरी छोड़कर स्वदेश आ गये।

1980 में चीन की ओर से यह बात अवश्य सामने आयी थी कि लद्दाख में अक्साई चिन में चीन द्वारा छीन ली गई 37,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत चीन का अधिकार मान ले तो चीन पूर्वी क्षेत्र में मैकमहोन रेखा स्वीकार करने को तैयार है

Scanned with CamScanner

राज्य घोषित किया, तो 21 जनवरी, 1987 को चीनी विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत की इस कार्यवाही से चीन की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

1982 में प्रकाशित चीनी मानचित्र में भी उन सभी भारतीय प्रदेशों को चीनी प्रदेश बताया गया जिन पर चीन अपना निराधार दावा करता रहा है। इस क्रम में सिक्किम को भी वह भारतीय प्रदेश नहीं मानता।

अगस्त 1986 में विदेश-राजमन्त्री के. आर. नारायणन् ने राज्यसभा को बताया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र सुमदुरोंग चू घाटी में एक हेलीपैड का निर्माण किया है कुछ हेलीकॉप्टर यहाँ आकर रुके।

प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 19-23 दिसम्बर, 1988 पिछले 34 वर्ष में भारत के किसी प्रधानमन्त्री की यह पहली चीन यात्रा थी।
राजीव गांधी ने चीन के राष्ट्रपति यांग शानकुन, चीन के प्रधानमन्त्री लि-पेंग तथा चीन के शीर्ष नेता डेंग शियाओ पिंग से लम्बी बातचीत हुई।
सीधी टेलीफोन सेवा भी इस ऐतिहासिक यात्रा के अवसर पर शुरू हो गयी।

चीनी प्रधानमन्त्री ली पंग एक उच्चस्तरीय दल के साथ 11 दिसम्बर, 1991 को चीन नयी दिल्ली आये, यह भारत आने वाले प्रथम चीनी प्रधानमन्त्री थे।

तिब्बत के मसले पर, चीन के प्रधानमन्त्री ने कहा कि चीन दलाईलामा के साथ तिब्बत की स्वतन्त्रता के मसले को छोड़कर शेष सभी मसलों पर बातचीत करने को तैयार है।
वेंकटरमन पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो चीन की यात्रा पर गये।

15-18 सितम्बर, 2000 को शंघाई में भारत एवं चीनी नौसेनाओं का पहला संयुक्त

मई 2004 मे प्रकाशित वर्ल्ड अफेयर्स ईयर बुक 2003-04 में चीन के पहली बार सिक्किम को भारत के अंग के रूप मे प्रदर्शित किया।

चीन के नए प्रधानमन्त्री ली केकियांग की 19-22 मई, 2013 तक की यात्रा के दौरान भारत तथा चीन ने 2014 में शान्तिपूर्ण - सह - अस्तित्व के पांच सिद्धान्तो (पंचशील) की 60 वीं वर्षगांठ को 'मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष' के रूप मे मनाया।

- भारत नेपाल सम्बन्ध → RSHM

चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत कर लेने के बाद भारत - चीन सम्बन्धो मे नेपाल की सामरिक स्थिति का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। पं. नेहरू ने 17 मार्च, 1950 को कहा था, जहाँ तक कुछ एशियाई गतिविधियों का सम्बन्ध है, भारत तथा नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है, लेकिन नेपाल पर किये आक्रमण को भारत सहन नहीं कर सकता।

भारत की नेपाल के साथ 1700 KM की सीमा है।
पारस्परिक मैत्री बनाए रखने हेतु इनके मध्य 1950 मे मैत्री सन्धि अखण्डता, स्वतन्त्रता एव सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने का उल्लेख है

वर्ष 2007 मे राजशाही की समाप्ति एव 2008 मे संविधान सभा के चुनाव के पश्चात नेपाल मे गणतन्त्र स्थापित हुआ।

1947 में नेपाल के प्रधानमन्त्री की मांग पर भारत सरकार ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ श्री श्रीप्रकाश को नेपाल भेजा जिससे नेपाल का संविधान तैयार कराने में सहायता दी जा सके। जो संविधान बन वह राजशाही की निरंकुशता का अन्त करने वाला था, अतएव उसे राजाओ ने कार्यान्वित नहीं होने दिया।

Scanned with CamScanner

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

1950 को नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने राज परिवार के 14 सदस्यों के साथ अपने राजमहल का परित्याग कर भारत में शरण ली। राणा शमशेर के विरुद्ध गृहयुद्ध शुरू हो गया।
भारत के सहयोग से ही नेपाल में राजशाही का अन्त हुआ, और नेपाल के महाराणा वास्तविक शासक बने तथा लोकतन्त्र की स्थापना हुई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की सदस्यता की वकालत की और 1955 में उसके सदस्य बने जाने पर प्रसन्नता प्रकट की।
इसके पश्चात भारत की लोकसभा में बोलते हुए नेहरू ने विदेश नीति पर एक-दूसरे से परामर्श करने की उस धारा की पुष्टि की जो भारत-नेपाल की मित्रता सन्धि (1950) में दी गयी थी।

भारत से बहकर आने वाली नदी, कोसी नदी पर नेपाली भूमि में बांध बना रखा है। कोसी नदी बांध के कारण नेपाल का भी लाभ था, और यहां भूमि भारत ने क्रय की थी, और इससे नेपाल की सार्वभौमिकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

नेपाल की प्रार्थना पर भारतीय सेना आयोग 1951 में नेपाल की सेना को संगठित करने और प्रशिक्षण देने आया था।

1964 में कोसी योजना बनी, कोसी योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ से बचाना, बिजली पूर्ति करना एवं सिंचाई के लाभ पहुंचाना था।
1950 कि मैत्री सन्धि के अनुच्छेद - 7 के अनुसार इस बात पर सहमति थी कि "एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में निवास, जायदाद की मिल्कियत, उद्योग-व्यापार में भागीदारी व घूमने-फिरने के समान अधिकार पारस्परिक आधार पर दिये जायेंगे।
नेपाल के लोगों को आई.ए.एस., आई.एफ.एस. व आई.पी.एस. को छोड़कर सभी सरकारी नौकरियां करने की छूट है।
नेपाल में भी भारतीयों को 1967 तक ऐसे ही अधिकार मिले हुए थे, इसके बाद इनके लिए वर्क-परमिट लेने की शर्त लगा दी गई।

Scanned with CamScanner

एक नई पारगमन सन्धि - वाणिज्य मन्त्री रामकृष्ण हेगडे और उनके नेपाली समकक्ष पूर्ण बहादुर खड्गा द्वारा 5 जनवरी, 1998 को सम्पन्न की गई। यह नई सन्धि जो 5 जनवरी, 2006 तक की अवधि के लिए वैध है, स्वतः ही आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत हो जायेगी, जब तक कि दोनो मे से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने मंशा का छः महीने का नोटिस दूसरे पक्ष को नहीं दे दे।

1 फरवरी 2005 को नरेश ने नेपाल मे आपातकाल लागू कर लोकतन्त्र को विध्वंस करते हुए पूर्ण राजशाही स्थापित कर दी।

नेपाल मे लोकतन्त्र बहाली के लिए बढते अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और राजशाही विरोधी प्रबल जनआन्दोलन के आगे झुकते हुए राजा ज्ञानेन्द्र ने 24 अप्रैल 2006, को पुरानी संसद को बहाल किए जाने की घोषणा की।

भारत ने नेपाल की जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी है, उनमे -

(1) देवी घाट, त्रिशूल, करनाली, पंचेश्वर जल-विद्युत योजनाएं,
(2) त्रिभुवन राजपथ, काठमाण्डु - त्रिशूली मार्ग, त्रिभुवन हवाई अड्डा,
(3) एक काठमाण्डु रक्सौल टेलीफोन संयन्त्र,
(4) चत्र नहर परियोजना, कोसी और गंडक परियोजना,
(5) भूवैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खनिज खोजबीन का काम,
(6) वीरगंज और हितौंदा रेल निर्माण,
(7) काठमाण्डू घाटी के एक उपनगर पाटन में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना
(8)

भारत की आणविक नीति -

Date __/__/__
Page _____
STUDY BUDDIES

परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र

अमेरिका - सबसे ज्यादा एक्टिव परमाणु हथियार अमेरिका के पास है, एक अनुमान के मुताबिक 7700 परमाणु हथियार अमेरिका के पास है। इनमे से 2100 हथियार एक्टिव है।
पहली बार 1945 में अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था
अब यह सीटीबीटी (व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध) सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुका

रूस - सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। रूस के पास 8500 परमाणु हथियार मौजूद है, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है। हालांकि, एक्टिव परमाणु हथियार के मामले में रूस अभी अमेरिका से पीछे है। इसके पास 1740 एक्टिव परमाणु हथियार मौजूद है
पहली बार 1949 में न्यूक्लियर पावर का टेस्ट करने वाला देश है, इसने भी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया है।

ब्रिटेन - यूके के पास कुल 225 न्यूक्लियर बम है, जिनमे से 160 सक्रिय है। पहली बार रूस ने 1952 मे इसका प्रयोग किया था
यूके भी सीटीबीटी पर सिग्नेचर करने को तैयार हो गया है।

फ्रांस - यूके के बाद फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसके पास 300 न्यूक्लियर हथियार है जिनमे से 290 सक्रिय है।
फ्रांस भी सीटीबीटी पर सिग्नेचर करने को तैयार हो गया है।

चीन - चीन ने पहली बार 1964 मे न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसके पास अभी 240 परमाणु हथियार है, हालांकि इनमे से कोई एक्टिव नही है अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है, जिसने सीटीबीटी पर सिग्नेचर किया।

भारत - भारत ने पहली बार 1974 मे परमाणु हथियारो का परीक्षण किया था। इसके पास 80 से 100 की संख्या मे परमाणु हथियार है। हालांकि, इनमे कोई भी एक्टिव नही है
भारत ने सीटीबीटी पर साइन नही किया है।

Scanned with CamScanner

Date
Page
STUDY BUDDIES

पाकिस्तान - 1988 में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाले पाकिस्तान के पास कुल 90 से 110 की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भी सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है।

नार्थ कोरिया - नार्थ कोरिया सबसे नया देश है, जिसने यह घोषणा की है की उसके पास परमाणु शक्ति है और इसने साल 2006 में ही परमाणु परिक्षण कर लिया था और आज तक नार्थ कोरिया लगभग 3 परमाणु परिक्षण कर चूका है, और इसके पास लगभग 10 परमाणु हथियार माने जाते है।

इजराइल - यह दुनिया के सभी परमाणु सम्पन्न राष्ट्रो में सबसे छोटा राष्ट्र है जिसके पास परमाणु शक्ति मानी जाती है, इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार माने जाते है लेकिन इजराइल ने कब परमाणु परिक्षण किए, और इसने यह शक्ति कैसे प्राप्त की यह अभी तक अज्ञात है।

ईरान - ईरान को भी दुनियाँ में अंदरूनी स्तर पर एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र माना जाता है लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे पता चलता है कि इसके पास कितने परमाणु हथियार है और इसने कितने परमाणु परिक्षण किये है।

इन हथियारो से वर्तमान विश्व को एक-दो बार नही, वरन पूरे एक दर्जन बार नष्ट किया जा सकता है।

परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सन् 1968 की अणु अप्रसार सन्धि (CNPT) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, लेकिन भारत ने इस अण्चुरण (नॉन प्रोलिफरेशन) सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

18 मई, 1974 को भारत ने शान्तिपूर्ण उद्देश्यो के लिए एक भूमिगत परिक्षण किया।

Scanned with CamScanner

Date __/__/__
Page _____
STUDY BUDDIES

मॉस्को परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि - 1963 में भी भूमिगत परिक्षणों पर कोई रोक नहीं लगाई गई, और भारत ने भी इस सन्धि पर हस्ताक्षर किया था।

परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) - 5 मार्च, 1970 से लागू किया गया।
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के पास नाभिकीय आयुध होने की पुष्टि कि गई थी। यह परमाणु अप्रसार सन्धि परमाणु शक्तियों के मुकाबले गैर-परमाणु देशों के साथ भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि परमाणु अप्रसार सन्धि भावी हथियारों पर ही रोक लगाती है।

1968 की सन्धि (NPT) को 1970 में लागू किया गया था, संविधान के प्रावधान के अनुसार 25 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होनी थी, अतः 17 अप्रैल 1995 से न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में लगभग चार सप्ताह का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया, सम्मेलन के निर्णयानुसार सन्धि को अनिश्चितकाल के लिए आगे लागू कर दिया।

1996 की सी.टी.बी.टी. पर भारत द्वारा हस्ताक्षर से इन्कार
(C.T.B.T.) अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। 20 जून 1996 को इस आशा का एक ठोस वक्तव्य दिया कि भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि को इसके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में विचार नहीं किया गया है और यह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है।
जेनेवा में निःशस्त्रीकरण के बारे में चल रहे 61 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की नेता अरुन्धती घोष ने स्पष्ट कहा कि "भारत ऐसी सीटीबीटी पर न अभी, न ही बाद में हस्ताक्षर करेगा।
सी.टी.बी.टी. को लागू करने की यह शर्त है कि यह तभी लागू होगी जब भारत सहित अन्य 44 देश इसका अनुसमर्थन कर देंगे।

Scanned with CamScanner

भारत ने 11 एवं 13 मई, 1998 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में कुल मिलाकर पांच परमाणु बमों का सफल भूमिगत परीक्षण करके देशवासियों को नया सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया।
भारत द्वारा 11 मई को तीन प्रकार के परमाणु परीक्षण किए गए थे -
(1) थर्मोन्युक्लियर, (2) फीजन परीक्षण, (3) लो-यील्ड परीक्षण।

प्रधानमन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अब्दुल कलाम के अनुसार पोखरण में किए गए पांच परमाणु परीक्षणों से भारत ने कम्प्यूटर डिजाइनों के माध्यम से ही नए आणविक अस्त्रों का डिजाइन तैयार करने की क्षमता का विकास कर लिया है।

भारत ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपनी पहली सामरिक परमाणु व मिसाइल कमान प्राधिकरण का 4 जनवरी 2003 को गठन किया। इस प्राधिकरण में राजनीतिक परिषद व कार्यकारी परिषद शामिल है, राजनीतिक परिषद के प्रमुख प्रधानमन्त्री होंगे, तथा प्रमुख हथियारों के इस्तेमाल सम्बन्धी अधिकार केवल इसी परिषद के पास होंगे।
वस्तुतः परमाणु बटन अब प्रधानमन्त्री के हाथ में है।
4 जनवरी, 2003 को प्रधानमन्त्री वाजपेयी की अध्यक्षता में मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परमाणु तथा सामरिक बलों के प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिए कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति की स्वीकृति

परमाणु सिद्धान्त में कहा गया कि राजनीतिक नेतृत्व ही परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से जवाबी परमाणु हमलों के लिए अधिकृत कर सकेगा।
परमाणु कमान परिषद की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे।

IV/SAM

IV/SAM

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका -
नेहरू युग में भारत - अमरीकी सम्बन्धों कि नींव पड़ी। नेहरू के बारे में आइजनहॉवर ने भी लिखा था - "पण्डित नेहरू का व्यक्तित्व दुर्बोध व उपनिवेशवादी है।

पं. नेहरू के जीवनी लेखक डॉ. एस. गोपाल ने सन 1949 मे नेहरू द्वारा की गई अमरीकी यात्रा के उपरान्त उनकी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए उसे उद्धृत किया है,- "उन्होने हर तरह मेरा स्वागत किया मगर वे मुझसे कृतज्ञता और सद्भाव से अधिक "कुछ" चाहते हैं. और यह कुछ मैं उन्हे नही दे सकता था।

जॉन फॉस्टर डलेस" ने स्पष्ट कहा कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारे विरुद्ध है।

अब भारत कि गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से अमेरिका को भारत एक जबर्दस्त प्रतिरोधी के रूप मे नजर आने लगा जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे अमेरिका से टक्कर लेने लगा था। तात्कालिक उपराष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के लिए इसी बुनियाद पर जोरदार सिफारिश की थी कि उससे जवाहरलाल नेहरू के भारत के तटस्थतावाद का मुकाबला हो सके।

1940 के दशक की राजनीतिक सैन्य परिस्थितियों ने पश्चिमी गोलार्द्ध के तत्कालीन 21 स्वतन्त्र राज्यों को 1947 मे एक औपचारिक पारस्परिक रक्षा सन्धि, "अन्तर-अमेरिकी पारस्परिक सहायता सन्धि" (रियो सन्धि) के नाम से ज्ञात - पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया।

1947 मे भारत ने कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समाधान के लिए प्रस्तुत किया तो अमरीका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया। अमरीका ने कश्मीर समस्या की तुलना जूनागढ़ से कर इसे हिन्दू- मुस्लिम संघर्ष कहकर और भी उलझन मे डाल दिया।

1949 मे चीन मे साम्यवादी क्रान्ति हो गई, दिसम्बर, 1949 को पं. नेहरू ने अपनी असंलग्नता की नीति और स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी।

भारत और अमेरिका के बीच सम्बन्धो मे सन्, 1965 मे उस समय अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई, जब अमरीका ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता करके उसे बहुत अधिक मात्रा में सैन्य-सामग्री देना शुरू कर दिया, 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्धो मे भारत के ~~विरुद्ध~~ विरुद्ध अमरीका द्वारा प्रदत्त इन शस्त्रास्त्रो का प्रयोग किया गया। 1954 मे पाकिस्तान को सीटो और सेण्टो जैसे प्रादेशिक सैनिक संगठनो का सदस्य भी बना लिया।

1961 में गोवा के मामले पर भी दोनो देशों के सम्बन्धो मे विकृति आयी। भारत के लिए गोवा को पुर्तगाली उपनिवेशवाद से मुक्त कराना उसके एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का प्रश्न था। इस विषय में मे अमरीका का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध था, क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था।

19 दिसम्बर, 1961 को पुर्तगाल स्वतः से गोवा को स्वतन्त्रता मिल गई

7 दिसम्बर, 1964 को भारत व अमेरिका के मध्य समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत (नई दिल्ली) अमेरिका ने भारत को तारापुर में आणविक शक्ति का संयन्त्र स्थापित करने के लिए 8 करोड़ डॉलर दिये

1964-1965 मे अमरीका ने उत्तरी वियतनाम पर भारी बम वर्षा की। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए इसकी कटु आलोचना की. इस आलोचना का अमेरिका ने तीव्र प्रतिरोध हुआ, इसका स्पष्ट प्रमाण था, 1965 मे शास्त्री को दिया गया अमेरिकी निमन्त्रण आमन्त्रण वापस लेना।

10 जनवरी, 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के देहान्त के बाद श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमन्त्री बनी।

अप्रैल 1967 मे नागा विद्रोही फौजो को अमेरिका मे आश्रय दिया गया, और मे यह रहस्य पता चला कि भारत में अनेक संगठनो के माध्यम से सी. आई. ए. भारत विरोधी कार्यवाही मे संलग्न है।

पश्चिमी एशिया संघर्ष (1967) तथा वियतनाम युद्ध (1969-70) मे विस्तृत अन्तर उभर कर आया।

1970 में भारत ने उत्तरी वियतनाम (हनोई) के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये जबकि दक्षिण वियतनाम (सैगान) के विषय मे ऐसा निर्णय नहीं लिया।

भारत स्थित अमरीकन सूचना केन्द्र के एक प्रकाशन "संयुक्त राष्ट्र के बीस वर्ष (United Nations at 20)" मे भारत का क्षेत्रफल 30,46,232 वर्ग किलोमीटर बताया गया था। इस क्षेत्रफल मे जम्मू एवं कश्मीर का भाग सम्मिलित नहीं किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका, 1965 (U.N. Statisical Year Book, 1965

मे भी ऐसा ही प्रकाशित किया गया था।
भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 1 जनवरी 1966 को 32,68,090 वर्ग किलोमीटर था।
25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की याह्याखां सरकार ने पाकिस्तानी आतंक से पीड़ित पूर्वी पाकिस्तान कि जनता पर खुलेआम अत्याचार करना शुरू कर दिया।

1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन बने।
बांग्लादेश संकट 1971 के समय हेनरी किसिंजर ने अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत मे एल. के. झा को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि चीन ने इस्लामाबाद की तरफ से किसी भी भारत - पाक युद्ध मे हस्तक्षेप किया तो भारत को अमरीका से सहायता की तनिक भी आशा नहीं रखनी चाहिए।

डियागो गार्शिया में अमरीकी अड्डा - डियागो गार्शिया हिन्द महासागर मे एक छोटा सा टापू है जो कि ब्रिटेन के अधिकार में था। बाद मे इसे अमरीका ने खरीद लिया, 1974 में अमरीका ने इस पर अपना एक अत्यधिक आधुनिक नौ-सैनिक अड्डा बनाने का निश्चय किया।

मई 1974 मे भारत ने पोखरण मे आणविक परिक्षण कर अपना नाम अणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्रो की श्रेणी में लिख दिया

जनवरी 1973 मे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी डेनियल पैट्रिक मोयनिहन को भारत में अमरीकी राजदूत नियुक्त किया गया। इसी समय 18 फरवरी, 1974 को पी.एल. 480 की जो अमरीकी धनराशि भारत मे बकाया थी उसके सम्बन्ध मे समझौता करते हुए अमरीका ने भारत को 1,664 करोड़ रुपये कि धनराशि अनुदान के रूप मे दे दी।

जून, 1980 में अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति करने के सरकारी आदेशो पर हस्ताक्षर कर दिये किन्तु, अमरीकी सीनेट, प्रतिनिधि सभा की विदेश सम्बन्ध समितियो ने भारत को 38 टन यूरेनियम देने से इन्कार कर दिया, यह कार्यवाही अमरीका व भारत के बीच 1963 मे हुई सन्धि के विपरीत थी।

शस्त्रास्त्र कि आपूर्ति के लिए भारत ने फ्रांसीसी मिराज, जर्मन पनडुब्बीयाँ तथा ब्रिटिश जगुआर का सौदा करके यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी एक ही देश की सैन्य सहायता पर निर्भर नहीं है।

जून 1978 मे प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री वाजपेयी ने अमरीका की यात्रा की। दोनों नेताओं ने अमरीकी जनता को यह बताने का प्रयत्न किया कि यह सन्धि भेदभाव पूर्ण है,
कि भारत की परमाणु नीति शान्तिपूर्ण है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करेगा।
मोरारजी ने एक दूरदर्शन भेंट वार्ता मे कहा– "यह सन्धि भेदभाव पूर्ण है तथा हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है।

अमरीकी प्रशासन ने भारत को तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे सैनिक तकनीक जारी करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जारी की गई [illegible]

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकर्बी एवं ट्रेनेर विमान विस्फोट के लिए जिम्मेदार लीबियाई आरोपियों को सौंपने के अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन के प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया

रूसी अन्तरिक्ष एजेन्सी (ग्लेव कास्मास)
भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी (इसरो)

क्लिंटन प्रशासन ने भारत के कड़े विरोध एवं आपतियों के बावजूद भी ब्राउन संशोधन कानून 1996 के अन्तर्गत पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डॉलर के अत्याधुनिकतम हथियार, जैसे ओरियन विमान (टोह लेने वाले), हारपून प्रक्षेपास्त्र एवं एफ-16 के कलपुर्जों का हस्तान्तरण किया था, जो निश्चित रूप से भारत की प्रतिरक्षा के विरुद्ध था

अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन (1996) में भारत पर अपने पैटेन्ट अधिनियम (1970) का डब्ल्यू. टी. ओ. के प्रावधानों के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र संशोधित करने के लिए दबाव डाला।
यदि भारत द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह मिकी केन्टोर को 1995 की रिपोर्ट के अन्तर्गत भारत के खिलाफ - 3 सुपर - 301 एवं स्पेशल - 301 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की भी धमकी देने लगा।

इन्द्रकुमार गुजराल के प्रधानमन्त्री बनने के बाद जून 1997 में भारत व अमरीका के बीच एक महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इस सन्धि के तहत दोनों ही देश एक-दूसरे द्वारा वांछित ऐसे भगोड़े अभियुक्तों व अपराधियों का प्रत्यर्पण करने पर सहमत हुए जो एक वर्ष से अधिक की सजा के पात्र हो, चाहे उनकी नागरिकता कोई भी हो।

22 वर्षों बाद किसी राष्ट्रपति ने 21 मार्च, 2000 से 5 दिवसीय भारत की यात्रा की अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की औपचारिक शुरुआत के पहले

Scanned with CamScanner

अप्रैल २००१ में भारत के विदेश मन्त्री जसवंत सिंह ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश से भेंट की। इसके बाद जसवंत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सी. राइस और विदेश मन्त्री कोलिन पॉवेल से वार्ता की राष्ट्रपति बुश राजनयिक औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए व्हाइट हाउस के उस कक्ष में पहुंच गये जहां उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय विदेश मन्त्री के साथ बातचीत कर रहे थे
उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम से परे भारतीय मेहमान को अपने ओवल कार्यालय में मुलाकात के लिए आमन्त्रित किया। इससे पहले दोनों देशों में अमरीका के किसी भी राष्ट्रपति ने प्रोटोकोल में अपने से नीचे के किसी भी राजनयिक को विचार विमर्श के लिए अपने ओवल कार्यालय में आमन्त्रित नहीं किया था।

भारत ने राष्ट्रपति बुश की (नयी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा व्यवस्था) (C.N.M.D.) का खुला समर्थन किया।

भारत - अमरीकी प्रयासों ने २७ नवम्बर से 5 दिसम्बर, २००१ तक बॉन में अफगानी गुटों की बैठक में उनके बीच समाधान को रूप देने में भी सहायता की जिससे अफगानिस्तान में अन्तरिम प्रशासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अमरीका ने 3 अक्टूबर, ~~२००१~~ २००१ को श्रीनगर विधानसभा भवन पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की।

Scanned with CamScanner

13 दिसम्बर ~~1999~~ 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले।

अप्रैल 2005 में मनमोहन सिंह के काल में भारतीय विदेश मन्त्री नटवरसिंह अमेरिका यात्रा पर गए। 14 अप्रैल 2005 को भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक हवाई सेवा समझौता किया जिससे दोनों देशों के बीच उड़ान सम्बन्धी सभी अड़चनें दूर हो गई।

28 जून 2005 को भारत व अमेरिका ने एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये। "न्यू फ्रेमवर्क फॉर दि यू.एस.-इण्डिया (डिफेन्स) रिलेशनशिप" शीर्षक वाले इस समझौते में दोनों देशों के मध्य अगले 10 वर्षों के लिए सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा निर्धारित की गई।

प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा (18-20 जुलाई 2005) के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई शिखर वार्ता में अमेरिका ने भारत को विश्व मंच पर आर्थिक, सामरिक व बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में मान्यता देते हुए, 18 जुलाई 2005 को भारत-अमेरिका के द्वारा जारी साझा बयान में महत्वपूर्ण असैन्य नाभिकीय ऊर्जा समझौता था।

1 से 3 मार्च, 2006 को अपने देश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत की यात्रा पर रहे, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह के बाद जारी संयुक्त-घोषणा-पत्र में भारत ने अपने सैन्य व असैन्य उपयोग वाले परमाणु संयन्त्रों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) की निगरानी के अधीन लाने को सहमत हुआ। इससे असैन्य परमाणु संयन्त्रों के लिए अमेरिका के साथ-साथ "नाभिकीय आपूर्ति समूह" का सहयोग भारत को प्राप्त हो सकेगा।

इस सहमति के अन्तर्गत भारत अपने कुल 22 मौजूदा परमाणु संयन्त्रों में से 14 को अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन लगाकर कोई भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निगरानी में नहीं लाया जाएगा तथा भविष्य में स्थापित होने वाले किसी रिएक्टर की श्रेणी (सैन्य अथवा असैन्य) तय करने का अधिकार भारत का होगा।

हाँ

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

राष्ट्रपति बुश के भारत के लिए शब्द – "हमारे सम्बन्ध नरकीय को से बदल गये है...... हमारे बीच अब रणनीतिक साझेदारी है।

6-8 नवम्बर, 2010 को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व भारत डायनेमिक्स लि. पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की। इन्होंने 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमरीकी समर्थन की घोषणा भी की।

साइबर परामर्श ढांचे के अन्तर्गत 4 जून, 2012 को वाशिंगटन में साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया। भारत एवं संयुक्त राज्य के कम्प्यूटर आपात कालीन अनुक्रिया दल (सीईआरटी) ने साइबर सुरक्षा विषयक चुनौती के सम्बन्ध में परस्पर अन्तःक्रिया तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी रखा।

अधिकाधिक रक्षा व्यापार, संयुक्त सैनिक अभ्यासों, कार्मिकों के विनिमय, प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा समुद्री सुरक्षा एवं समुद्री डकैती के विरूद्ध संघर्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा रक्षा सहयोग में वृद्धि की गई।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 से 30 सितम्बर, 2013 तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की, और राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ – तृतीय शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठक में बातचीत की।
इस शिखर बैठक में लिए गये मुख्य निर्णयों में सह-विकास और सह-निर्माण के सम्बन्ध में द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्धों का विस्तार, हिन्द महासागर क्षेत्र को शामिल करने के लिए रणनीतिक परामर्श में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में संयुक्त कार्य समूह गठित करना और एच. एफ. सी. के उपयोग को कम करना तथा द्विपक्षीय निवेश सन्धि के परिणाम को गति प्रदान करना शामिल है।
असैनिक परमाणु सहयोग – भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुजरात में परमाणु विद्युत संयन्त्र विकसित करने के लिए सितम्बर 2013 में भारतीय (N.P.C.I.L.) परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल) और वेस्टिंग हाउस के मध्य द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग के वाणिज्यिक कार्यान्वयन के सम्बन्ध में संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

Scanned with CamScanner

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26-30 सितम्बर, 2014 तक अमरीका की यात्रा की नरेन्द्र मोदी और बराक, ओबामा ने पहली शिखर स्तरीय बैठक, में भारत - अमरीकी द्विपक्षीय सम्बन्धो को अच्छा करने, असैन्य परमाणु करार को लागू करने में आ रही बाधाओ को दूर करने, आतंकवाद से लड़ने मे सहयोग, आर्थिक, सहयोग, व्यापार व निवेश सहित व्यापक मुद्दे चर्चा का विषय रहे।
मोदी ने अमरीका मे भारतीय सेवा क्षेत्र की पहुंच को सुगम बनाने की मांग की। मोदी ने डब्ल्यूटीओ के व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठाया, मोदी ने ओबामा से कहा, भारत व्यापार का समर्थन करता है, लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा की कीमत पर नहीं। भारत की खाद्य समस्या के परिपेक्ष्य मे सब्सिडी जैसे इस मुद्दे का हल भी नीकालना चाहिये।
बीते दिनो भारत ने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए ही (W.T.O.) मे व्यापार समझौते मे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

अजमेर को स्मार्ट बनाएगा अमेरिका - मोदी की स्मार्ट सिटी योजना के लिए अमरीकी कम्पनियां सहयोग करेगी। दोनो की बातचीत के बाद कहा गया कि अजमेर, इलाहबाद, विजाग को स्मार्ट सिटी बनाने में अमरीका प्रमुख भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण मे भी वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

अप्रैल से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान अमरीका भारतीय माल के सम्बन्ध मे द्वितीय सबसे बड़ा व्यापर भागीदार बन गया।
अमरीका 1998-99 मे भारत का सबसे बड़ा भागीदार था, जब कुल व्यापार मे अमरीका हिस्सा धीरे- धीरे गिरते हुए 2009 से 2013 के बीच 8 प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गया, और 2013-14 के दौरान ही इसमे कुछ सुधार हुआ तो यह 8 प्रतिशत पर वापस आया।
दूसरी और चीन की हिस्सेदारी भारत के साथ व्यापार मे इसी अवधी में 2 से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई।

Scanned with CamScanner

संयुक्त राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के अटूट विश्वास की व्याख्या करते हुए सन 1946 में "जवाहरलाल नेहरू" ने कहा - संयुक्त राष्ट्र के "घोषणा पत्र" के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय तथा कर्म से पूर्ण सहयोग एवं बिना संकोचपूर्ण समर्थन का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उसकी सभी गतिविधियों में भाग लेगा, जिससे उसकी भौगोलिक स्थिति, आबादी और शान्तिपूर्ण उन्नति में सहयोग मिल सके।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य एवं सिद्धान्त भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य एवं सिद्धान्तों के अनुकूल -

(नीति-निदेशक सिद्धान्त) भारत के संविधान के अनुच्छेद - 51 में कहा गया है कि राज्य (1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की अभिवृद्धि को,
(2) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने को
(3) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का
(4) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।
इसी कारण भारत अपनी पहली अन्तर्राष्ट्रीय समस्या - कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ले गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारत की भूमिका - और भारत के लोग - भारत 1950-51, 1965-66, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 वर्षों में सुरक्षा-परिषद का सदस्य बना।

Scanned with CamScanner

संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण अंग आर्थिक, सामाजिक, परिषद् में भारत 2006-07 के लिए 7वीं बार सदस्य चुना गया।

भारत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अधिशासी परिषद्, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, तथा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषध द्रव्य के लिए पुनः निर्वाचित हुआ।

सन् 1958 में पश्चिम अफ्रीका में जो निरीक्षक मण्डल भेजा गया, भारत उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। भारत युनेस्को के संस्थापक सदस्यो में से एक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है

संयुक्त राष्ट्र बाल - आपात कोष का प्रादेशिक कार्यालय भारत में है।

मार्च 1968, 1968 में नई दिल्ली में द्वितिय अंकटाड सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य है। स्थापना के समय इसकी पूंजी में भारत का 5 वां सबसे बड़ा भाग है।

भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49 वे सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में तथा स्थाई विकास आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया है।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। डॉ. राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके है। श्रीमती अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, डॉ. बी. आर सेन - विश्व खाद्य व कृषि संस्था के प्रधान रह चुके है। जगजीवन राम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33 वें अधिवेशन के और डॉ. एच. जे. भाभा 1955 में अणुशक्ति के शान्तिमय उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष रह चुके है। डॉ. चिन्तामणि देशमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के डॉ. पी. एन. कृपाल यूनेस्को के कार्यकारी मण्डल के अध्यक्ष रहे है। डॉ. चिन्तामणि मेजर जनरल रिखी महासचिव के सैनिक सलाहकार, जनरल थिमैया साइप्रस में और मेजर जनरल ज्ञानी गाजा में शान्ति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना के कमाण्डर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके है। डॉ. नगेन्द्रसिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके और श्री आर. एस. पाठक न्यायधीश पद पर कार्यरत है। श्री निवास को मई 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। महिला और बाल विकास विभाग की सचिव कुमारी मीरा सेठ को जून में यूनीसेफ कार्यकारी बोर्ड का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया।

Scanned with CamScanner

Date ___
Page ___
STUDY BUDDIES

14 नवम्बर, 1991 को डॉ॰ पी॰ एस॰ राव अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य पुनः निर्वाचित हुए। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण के न्यायधीश के रूप में 1999 से 2008 तक की अवधि के लिए फिर से चुन लिया गया। न्यायमूर्ति पी॰एन॰ भगवती को 1999-2002 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चुना गया। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि श्री प्रकाश शाह को 3 मार्च 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इराक के सम्बन्ध में अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया।

वर्ष 2000 से 2004 तक की अवधि के वी॰ के शुंगलू, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए।

3 मार्च, 2006 को महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के विजय नाम्बियार को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त कर 'अण्डर सेक्रेटरी जनरल' का दर्जा प्रदान किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शशिकान्त शर्मा को जुलाई 2014 से छः वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक बोर्ड में चुन लिया गया। भारत की उम्मीदवार डॉ॰ पूनम खेत्रपाल सिंह को 12 सितम्बर, 2013 को

27 सितम्बर, 2014 को महासभा के अपने सम्बोधन में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने सुरक्षा परिषद् के विस्तार की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने मे भारत के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहायता एंव तकनीकी सहयोग कार्यक्रमो में भारत का योगदान –

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एंव सामाजिक परिषद् तथा अन्य संस्थाओ के माध्यम से भारत अर्द्धविकसीत राष्ट्रो के विकास की समस्याओ पर आर्थिक एव सामाजिक परिषद् का ध्यान आकर्षित करता रहा है।

परिषद् के आधार पर हि थोड़े समय मे अनेक विश्व संस्थाओ का गठन हुआ
– खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसके अतिरिक्त अन्य एजेन्सियाँ – संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट काल नीधि, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के विशाल कार्यक्रमो मे आती है।

भारत को कृषि अर्थतन्त्र के निर्माण में खाद्य एंव कृषि संगठन से तकनीकी सहायता मिली है

भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य –

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य

इस संगठन की प्रशासनिक संस्था में भारत एक स्थायी सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48 वें अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव की "आतंकवाद मानवाधिकारो के रास्ते का एक रोड़ा है" सर्वसम्मति से पारित हुआ जिसे दूसरे देशो के साथ मिलकर भारत ने पेश किया था, और वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय राजनय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 का स्वागत किया है जिसे 28 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले की निन्दा करने संबंधी संकल्प के रुप मे पारित किया।

Date / /
Page
STUDY BUDDIES

संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना कार्यों मे भारत का योगदान -

25 जून,

कोरिया समस्या के समाधान मे भारत का योगदान - 25, जून, 1950 को संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी गई कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया के गणराज्य पर आक्रमण किया है।

सुरक्षा परिषद् मे युद्ध - विराम की मांग की, परन्तु दो-तीन तक युद्ध चलते रहने पर परिषद् ने सिफारिश की कि संघ के सदस्यगण कोरियाई गणराज्य को सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला करने मे सहायता दे

27 जून, 1950 को संघ ने यह घोषणा की कि उसने अपनी जल, थल, वायु सेना को दक्षिणी कोरियाई की सहायता के लिए आज्ञा दे दी है।

उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के बाद भी भारत ने सैनिक कार्यवाही में भाग नही लिया। भारत ने युद्ध मे तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए शान्ति की स्थापना में मध्यस्थता के लिए भी प्रयास किया।

उसने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओ द्वारा 38वी समानान्तर रेखा को पार किये

Scanned with CamScanner

Date ___ Page ___ STUDY BUDDIES

हिन्द चीन की समस्या और भारत –

द्वितिय महायुद्ध से पूर्व हिन्द चीन पर फ्रांस का अधिकार था, परन्तु युद्ध मे इसे जापान ने जीत लिया। जापान के आत्म समर्पण के समय हिन्द चीन के ऊरी भाग पर साम्यवादी चीन ने तथा दक्षिण भाग पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। फ्रांस ने यह दक्षिण भाग पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया।

फ्रांस ने दक्षिण भाग ब्रिटेन से प्राप्त कर लिया। वियतनाम मे स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वियतमिन्ह नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसने फ्रांस से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष आरम्भ कर दिया।

1954 मे साम्यवादी चीन से सहयोग प्राप्त कर वियतमिन्ह सेना ने फ्रांस से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष शुरु कर दिया।

25 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दचीन की समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए के विचार हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

26 अप्रैल 1954 से 27 जुलाई, 1954 तक जेनेवा सम्मेलन चला। अमरीका की अनिच्छा के कारण भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं बनाया गया। अतएव आमान्त्रित न होते हुए भी भारत सरकार ने वी. के. कृष्णामेनन को सम्मेलन की गतिविधि पर पर दृष्टि रखने एवं सम्मेलन के बाहर रहकर शान्ति प्रयासो में सहायता देने की दृष्टि से जेनेवा भेजा। फ्रांस के एक राजनीतिज्ञ ने कृष्णामेनन को जोड़ने वाली जंजीर कहा

21 जुलाई, 1954 को जेनेवा सम्मेलन मे साम्यवादी चीन की उपस्थिति मे युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गये, जिसके उपरान्त हिन्द-चीन की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन सदस्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग निर्मित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत को स्वीकार करनी पड़ी।

कुवैत समस्या – अगस्त, 1990 को कुवैत पर इराक के हमले के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ मे खाड़ी संकट का मुद्दा छाया रहा।

कम्बोडिया – कम्बोडिया के मसले के सम्बन्ध मे की गई पहलकदमियो की परिणति 23 अक्टूबर, 1991 को पेरिस मे एक व्यापक शान्ति समझौते में हुई।

Scanned with CamScanner

सेना में अपने सैनिक, ... संयुक्त राष्ट्र अंगोला पर्यवेक्षक समय आपातकालिन सेना में अपने सैनिक भेजे। मोजाम्बिक, संयुक्त राष्ट्र सोमालिया में भी सैनिक भेजे। संयुक्त राष्ट्र इराक (कुवैत) पर्यवेक्षक मिशन और लाइबेरिया मिशन, जुलाई, 1995, संयुक्त राष्ट्र बोस्निया व हर्जेगोविना में भारतीय पुलिस संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मिशन, संयुक्त राष्ट्र हैती सहायता पर्यवेक्षक, संयुक्त राष्ट्र रवांडा सहायता मिशन, मिशन, ...॥

नवम्बर 1998 में दक्षिणी लेबनान में भारतीय इन्फैन्ट्री बटालियन के शामिल हो जाने से भारत संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता देने वाला देश बन गया है।

मार्च, 2000 में उपद्रवग्रस्त पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र सियरा लियोन में शान्ति स्थापना में सेना बी. एस. सिवाच के नेतृत्व में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रारम्भ से किये गये 63 शान्तिरक्षण अभियानो में से 43 में 100,000 से अधिक भारतीय सैन्य दल, सैन्य पर्यवेक्षक और असैनिक पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का आर्थिक अंशदान – आज भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 48 सदस्यों में से एक है, जिसने उसके व्यय के लिए अपने हिस्से का सम्पूर्ण बकाया अंशदान चुकता कर दिया है अंशदान चुकता करने वाले देशों में भारत 37 वें स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की गणना अंशदान अदा न करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में आती है।

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का सम्बोधन – 21 वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर विचार करने के लिए 6-8 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि सम्मेलन को सम्बोधित किया।

Scanned with CamScanner

M.A. IVth SAM. Political Science

Scanned with CamScanner